बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग की

छत्र योजनाएँ

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग की

छत्र योजनाएँ

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
01	**मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना**	01–18
	1.1 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	
	1.2 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	
	1.3 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	
	1.4 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	
	1.5 बिहार निःशक्तता पेंशन योजना	
	1.6 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	
	1.7 बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	
	1.8 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	
	1.9 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	
	1.10 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	
	1.11 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	
	1.11.1 मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	
	1.11.2 अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	
1. (क)	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	
02	**मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना**	19–26
	2.1 मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	
	2.2 सीपडा	
03	**समेकित बाल विकास छत्र योजना**	27–38
	3.1 समेकित बाल विकास योजना	
	3.2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	
	3.3 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना	
04	**मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना**	39–50
	4.1 समेकित बाल संरक्षण योजना	
	4.2 परवरिश योजना	

क्र.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
05	**मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना**	51–68
	5.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	
	5.2 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	
	5.3 नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन	
06	**मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना**	69–78
	6.1 बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण योजना	
	6.2 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	
	6.3 वृद्धाश्रम	
	6.4 किन्नर कल्याण योजना	
07	**मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना**	79–83
	7 (क) मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	
08	**परिशिष्ट**	84–98

मुख्यमंत्री
सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन
छत्र योजना

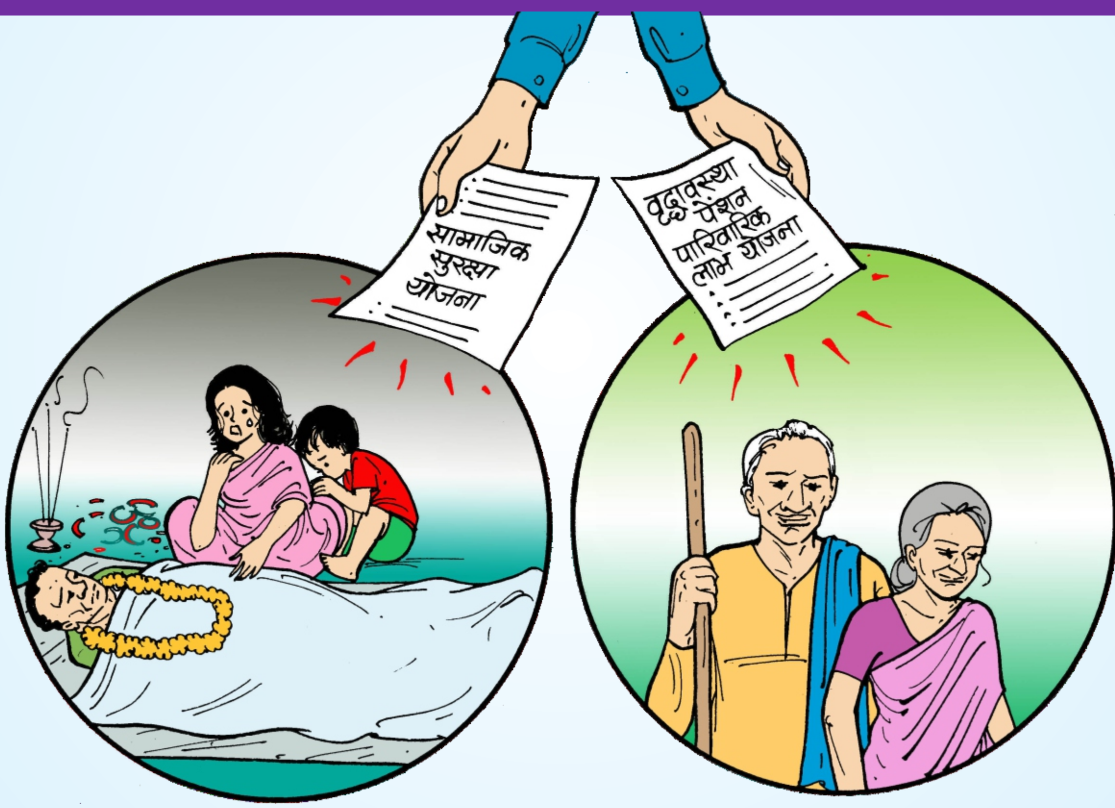

मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना

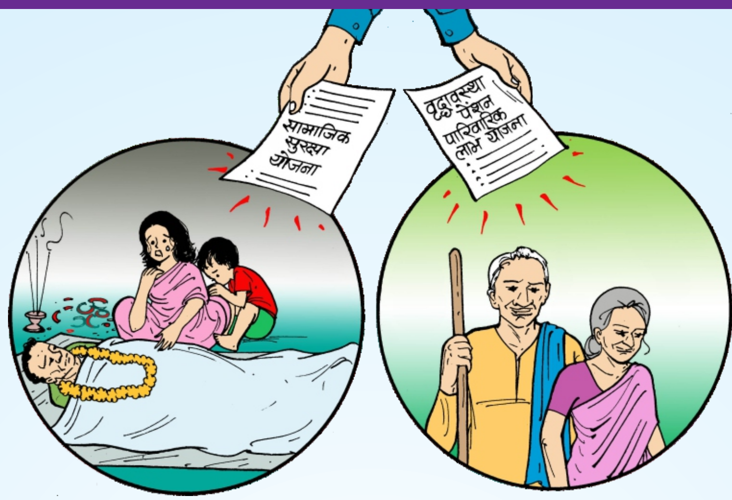

1. उद्देश्य

इस छत्र–योजना का उद्देश्य समाज के गरीब, परिवार के वृद्ध, निःशक्त, विधवा, कुष्ठ रोगी, एड्स रोगी आदि को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुँचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. छत्र–योजना का विवरण

इस छत्र–योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी :–

2.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

इसके तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राज्य पेंशन योजनाएँ तथा मासिक सहायता की योजनाएँ होंगी जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना; राज्य पेंशन योजना अन्तर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं मासिक सहायता की बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना तथा बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना। तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति को भी बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि प्रदान की जायेगी। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत वृद्धजनों (60–64 वर्ष) का नामांकन पिछले चार वर्षों से भी अधिक से बंद होने के कारण वर्तमान में कोई वृद्धजन लाभुक नहीं रह जाने चाहिए तथा विमुक्त बंधुआ मजदूर के लिए वर्णित अन्य योजना में आच्छादित हों सकने के कारण यह योजना पृथक रूप से संचालनीय नहीं रह गई।

2.2 मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाएँ

इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना तथा कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना होंगी, जिसके अन्तर्गत परिवार के मुखिया के मृत्योपरांत उनके आश्रित/निकटतम संबंधी को एकमुश्त अनुदान देय है। कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत एकमुश्त अनुदान अन्त्येष्टि क्रिया हेतु देय है।

2.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

यह एकीकृत योजना होगी जिसके अन्तर्गत निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना समाहित होंगी।

3. निधि का संवितरण

निधि का संवितरण निम्नवत किया जायेगा :

3.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत 80 वर्ष या अधिक आयु के अति वृद्धजन, अन्य वृद्धजन, विधवा एवं निःशक्तजन के लिए अलग–अलग देय राशि है। अति वृद्धजन को छोड़कर अन्य पात्र लाभुकों को एक समान राशि का लाभ देने हेतु अन्तर राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा प्रावधानित है। इसी प्रकार जो लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत निर्धारित प्रात्रता नहीं रखते हैं परन्तु राज्य पेंशन योजना अन्तर्गत योग्य पात्र हैं उनका भुगतान राज्य योजना से देय है। इसके अतिरिक्त मासिक सहायता योजनाएँ अन्तर्गत बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना तथा बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना की राशि राज्य योजना से देय है।

3.2 मृत्योपरांत देय अनुदान योजनाएँ

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना एवं कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के लिए शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

3.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

इसके लिए शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

4. देय राशि

इस छत्र योजना अन्तर्गत उक्त मदों में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित दरें लागू होगी।

4.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए रू. 500 प्रतिमाह तथा शेष सभी पेंशन योजनाओं के आच्छादित लाभुको को रू. 400 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है। मासिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत आच्छादित लाभुको को रू. 1,500 प्रतिमाह की दर से भुगतान कर आर्थिक सहायता दी जाती है।

4.2 मृत्योपरांत देय अनुदान योजना

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए एकमुश्त रू. 20,000 एवं कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के लिए एकमुश्त रू. 3,000 की सहायता दी जाती है।

4.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

इस योजना अन्तर्गत पात्र लाभुको को रू. 1,00,000 अनुदान के रूप में दी जाती है।

5. पात्रता

इस छत्र–योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होगी :–

5.1 पेंशन एवं मासिक सहायता योजनाएँ

(i) **वृद्धजन –** बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला/पुरुष इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

(ii) **विधवा महिला –** बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला जिनकी आयु 40 वर्ष या अधिक हो वे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो एवं आय रू. 60,000 या उससे कम हो वे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

(iii) **दिव्यांगजन –** बी.पी.एल. परिवार के 18–79 वर्ष या अधिक आयु के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत तथा किसी भी आय एवं आयु के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

(iv) **कुष्ठ या एड्स पीड़ित –** Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत तथा 18 वर्ष या अधिक आयु के एड्स रोगी बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत आच्छादित होंगे।

(v) दिव्यांगजन के सदृश तेजाब हमले से पीड़ित भी बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे। वैसे तेजाब पीड़ित, जो बिहार के मूल निवासी हो या तेजाब हमले की घटना बिहार में हुई हो, को पेंशन देते हुए दिव्यांगता की न्यूनतम अर्हता 40 प्रतिशत की शर्त को विलोपित किया गया है।

(vi) एक से अधिक पेंशन एवं मासिक सहायता योजना में पात्रता होने पर लाभार्थी की स्वेच्छा अथवा अधिकतम लाभ वाली योजना अंतर्गत ही पात्रता मानी जाएगी।

5.2 मृत्योपरांत देय अनुदान योजना

(i) **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :** बी.पी.एल. परिवार के 18–60 वर्ष आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु पर उसके शोक–संतप्त परिवार को अनुदान देय होगा।

(ii) **मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना :** किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18–60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार या निकटतम संबंधी को अनुदान देय होगा। उदाहरणस्वरूप किसी दुर्घटना में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर सभी मृतक, मृत बच्चे सहित प्रति मृतक के लिए अनुदान अनुमान्य होगा। आत्महत्या के मामले में यह लाभ देय नहीं होगा।

(iii) **कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना :** बी.पी.एल. परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को अनुदान देय होगा।

5.3 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अंतर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा। यदि ऐसे विवाह में पति/पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ–साथ अंतर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणस्वरूप यदि पति–पत्नी

दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अंतर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह– दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

6. प्रक्रिया

इस छत्र–योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगी:

6.1 आवेदन की प्रक्रिया

योजना	आवेदन	कहाँ/ किसके समक्ष	अनुमोदन
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	BDO
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
बिहार निःशक्तता पेंशन योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	BDO
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	विहित प्रपत्र में	BDO	BDO
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	विहित प्रपत्र में	एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के केन्द्र	
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	विहित प्रपत्र में	RTPS	SDO
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	सादे कागज में	SDO	SDO
कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	सादे कागज में	मुखिया (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) वार्ड कमिश्नर (शहरी क्षेत्र हेतु)	
मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	विहित प्रपत्र में	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग / जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय	जिला पदाधिकारी

6.2 धनराशि वितरण की प्रक्रिया

(i) बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में राशि एड्स कन्ट्रोल सोसायटी को दी जायेगी।

(ii) इस छत्र योजना अंतर्गत अन्य सभी योजनाओं के लिए अलग–अलग बैंक खाता 'सक्षम' में संधारित होगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में State Level DBT के द्वारा एवं अवशेष अन्य सभी योजनाओं में Parent & Child Account की पद्धति से लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकेगा।

(iii) अवशेष अन्य सभी योजनाओं में से कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना में पंचायत सचिव / टैक्स दारोगा या अन्य सक्षम कर्मी के द्वारा एवं शेष योजनाओं में जिलों के द्वारा लाभुकों को भुगतान किया जायेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया

(i) सभी पेंशन योजनाओं, मृत्योपरांत देय अनुदान योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, अन्तर्जातीय विवाह योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस छत्र–योजना के अंतर्गत एम.आई.एस. की सुविधा रहेगी। साथ ही सभी योजनाओं में प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जाँच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत एवं निवारण हेतु हेल्प डेस्क तथा एम.आई.एस. की व्यवस्था की गयी है। शिकायत का निपटारा प्रखण्ड विकास कार्यालय में नहीं होने की स्थिति में अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

अधिसूचना संख्याः–03/यो0–26/2017/5725 पटना, दिनांक : 27/11/2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्य तथ्यः

1. पेंशन सहायता योजनाएँः

केन्द्र संपोषित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित पेंशन योजनाओं तथा राज्य सरकार की पेंशन सहायता योजनाओं का उद्देश्य समाज के गरीब परिवार के वृद्ध, निःशक्त तथा विधवाओं को आर्थिक अनुदान एवं सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम केन्द्र संपोषित योजना है जिसके अंतर्गत पेंशन संबंधी निम्नवत तीन योजनाएँ सम्मिलित हैं जिसका कार्यान्वयन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर–सक्षम के माध्यम से किया जा रहा है:

- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना,
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना,

उपर्युक्त केंद्र संपोषित योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले वृद्ध, निःशक्त तथा विधवाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक अनुदान दिया जाता है जिसकी विवरणी निम्नवत है:

- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना

राज्य के अंतर्गत कार्यान्वित सभी पेंशन सहायता योजनाओं के लिए अलग–अलग पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैं–

1 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

प्राप्त राशि: इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के 60–79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्ति को रू. 400 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को रू. 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

योग्यता/शर्त: बी.पी.एल. परिवार के सदस्य एवं 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला/पुरुष इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

2 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

प्राप्त राशि: इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला जिनकी आयु 40–79 वर्ष है उस विधवा महिला को रू. 400 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

योग्यता/शर्त: बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला जिनकी आयु 40 वर्ष या अधिक हो वे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

3 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना

प्राप्त राशि: बी.पी.एल. परिवार के 18–79 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू. 400 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

योग्यता/शर्त : बी.पी.एल. परिवार के सदस्य एवं 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र।

4 **लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना**

प्राप्त राशि : इस योजना के अंतर्गत आयु 18 वर्ष या अधिक हो एवं वार्षिक आय रू. 60,000 या उससे कम हो, बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला को रू. 400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

योग्यता/शर्त : जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो एवं वार्षिक आय रू. 60,000 या उससे कम हो वे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

5 **बिहार नि :शक्तता पेंशन योजना**

प्राप्त राशि : किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू. 400 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

योग्यता/शर्त : किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त व्यक्ति इस योजना के तहत आच्छादित होंगे।

सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करना है।

सभी प्रखंडों में प्राप्त सभी आवेदन प्रत्येक दिन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी द्वारा वेब सर्विस के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना तंत्र सोशल सिक्यूरिटी पेंशन मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (SSPMIS) को प्राप्त होती है। प्राप्त सूचना के अलावा स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जो भी सूचनाएँ प्रासंगिक हैं, उन सबको प्रखंड के संबंधित डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा SSPMIS में इंट्री कर दी जाती है तथा प्राप्त सभी संबंधित दस्तावेजों को SSPMIS में उपलब्ध डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत स्कैन करके सुरक्षित रूप में संधारित किया जाता है। तत्पश्चात, इसे सत्यापन के लिए संबंधित पंचायत सचिव को दिया जाता है। पंचायत सचिव से प्राप्त अनुशंसा प्रपत्र को पुनः SSPMIS पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। पंचायत सचिव से प्राप्त अनुशंसा तथा संधारित दस्तावेजों के आलोक में बिहार निःशक्तता पेंशन योजना तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाती है तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से SSPMIS पर की जाती है। ऑनलाइन स्वीकृत करने के उपरांत स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि के साथ स्वतः निर्गत हो जाता है साथ ही इसकी सूचना यदि लाभुक का मोबाईल संख्या संधारित हो तो उसके मोबाईल पर भी दी जाती है।

स्वीकृति उपरांत लाभुकों की जानकारी स्वतः इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन एम.आई.एस. से ई–लाभार्थी पोर्टल पर वेब सर्विस के माध्यम से अपलोड की जाती है। SSPMIS के द्वारा दिनांक 26.11.2017 के बाद ही प्राप्त आवेदन को स्वीकृत किया गया है। इससे पूर्व के आवेदनों को विभिन्न चरणों में ई–लाभार्थी पोर्टल पर प्रत्यक्ष रूप से संधारित किया गया है।

स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक एवं आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता है या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता और आधार कार्ड में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं। बैंक खाता, आधार कार्ड और लाभार्थी के नाम में किसी प्रकार के अंतर को दूर करने के उपरांत ही पोर्टल में अपलोड किया जायेगा।

ई–लाभार्थी पोर्टल पर प्राप्त नये आवेदनों को प्रत्येक माह के 7 तारीख तक नियमित रूप से PFMS को बैंक खाता आदि सत्यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अथवा उसके अधिकृत संस्थाओं सक्षम/एन.आई. सी. द्वारा अग्रसारित किया जाएगा।

PFMS से सत्यापनोपरांत त्रुटिपूर्ण पाये गये आवेदनों में त्रुटि सुधार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब किया जायेगा और इसके लिए आवश्यकतानुसार त्रुटि सुधार कैम्प का भी आयोजन किया जाएगा।

PFMS से सत्यापनोपरांत त्रुटिरहित पाए गए लाभुकों की सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लॉक कर Digital Signature/E-Sign किया जाएगा और तभी उन्हें पेंशन भुगतान हेतु स्वीकृत माना जायेगा।

सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभुकों को राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रक्रिया के तहत लाभुको को किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में लाभुकों के द्वारा उपलब्ध कराये गए खाता संख्या के आधार पर PFMS के माध्यम से लाभुकों के खाते में सीधे पेंशन की राशि का भुगतान राज्य स्तर से ही किया जाता है।

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक Randomly/Cross-Check करेंगे और त्रुटि पाए जाने पर उसका निवारण कराकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से पुनः लॉक कराकर Digital Signature/E-Sign किया जाएगा जिसे उनके द्वारा सम्यक परीक्षण/सत्यापन के पश्चात ई–लाभार्थी पोर्टल पर लॉक कर अग्रसारित किया जायेगा।

प्रत्येक माह की 10 तारीख के उपरांत ई–लाभार्थी पोर्टल पर लाभार्थियों की विवरणी को शुद्ध एवं अद्यतन मानते हुए उन्हें पूर्ववर्ती माह तक का पेंशन भुगतेय होगा। भविष्य में लाभार्थियों की विवरणी में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर प्रथम दृष्टया उसकी जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की मानी जाएगी और तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

पेंशन भुगतान यथासंभव त्रैमासिक/मासिक होगा। पेंशन भुगतान हेतु इस निर्दिष्ट चक्र (त्रैमासिक/मासिक) में विहित माह/अवधि हेतु ई–लाभार्थी पोर्टल से लाभार्थियों की विवरणी के आलोक में राज्य स्तर से निदेशालय के निदेश के आलोक में NIC के माध्यम से पेमेंट फाईल तैयार की जाएगी एवं PFMS पोर्टल के सर्वर पर अपलोड किया जायेगा और PFMS से समन्वय बनाये रखा जायेगा ताकि किसी समस्या/त्रुटि का निराकरण अविलम्ब हो सके।

PFMS से पेमेंट फाईल के सत्यापनोपरांत उसे यथाशीघ्र निदेशालय स्तर से अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा PFMS पर अनुमोदित करते हुए Ready for Payment अर्थात भुगतान हेतु तैयार किया जायेगा।

राशि की उपलब्धता के आलोक में Ready for Payment फाइल पर निदेशक के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी तत्पश्चात अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपादित कर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी और लाभार्थियों के खाता में सीधे भुगतान (DBT) किया जायेगा।

DBT हो जाने के उपरांत Ready for Payment फाइल वस्तुतः Paid फाइल बन जायेगा जिसकी हार्ड कॉपी को प्रत्येक प्रखंड/पंचायत में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संधारित किया जायेगा।

''सक्षम'' कार्यालय के अंतर्गत गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कोषांग राज्य स्तरीय DBT की पूरी प्रक्रिया का संधारण करना सुनिश्चित करेगी तथा Paid फाइल, अन्य सुसंगत विवरणी आदि की Soft Copy CD/DVD एवं Cloud में Backup रखेगी। साथ ही Hard copy में सारांश (Summary) को अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निदेशक द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित कर कार्यालय में अभिलेखित कर सुरक्षित रखेगी।

किसी लाभार्थी की मृत्यु अथवा ई–लाभार्थी पोर्टल में त्रुटिपूर्ण विवरणी के कारण गलत भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली की कार्रवाई करने की जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा उसके वसूली सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी संबंधित सहायक निदेशक की होगी। पूरे मामले का विधिवत अनुश्रवण करने और उपयोगिता प्रमाणक देने की जिम्मेवारी सक्षम (DBT) कोषांग की होगी।

राज्य एवं केन्द्र संपोषित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अनुश्रवण प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा निरंतर अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा इसके साथ ही साथ नियमित अनुश्रवण "सक्षम" कार्यालय में गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कोषांग (DBT CELL) द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा तथा राज्य स्तर से जाँच दल द्वारा भी अनुश्रवण कार्य किया जाएगा।

सभी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अब DBT प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान सीधे लाभुक के खाते में राज्य स्तर से सक्षम के DBT CELL द्वारा PFMS पोर्टल पर उपलब्ध सूची को अधिकृत पदाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने के उपरांत हस्तांतरित किया जाता है। इस स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन MIS / ई–लाभार्थी / PFMS से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर ही सक्षम द्वारा 42-A में उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सम्बन्ध में शिकायत निवारण हेतु एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है (https://grievance.sspmis.in) जिसपर लाभुक स्वयं जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है अथवा टोल फ्री नं. 18003456262 पर फोन कर हेल्पडेस्क के माध्यम से निःशुल्क अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत निवारण के लिए सॉफ्टवेयर में ही यह व्यवस्था की गई है की संबंधित पदाधिकारी को प्रतिदिन ई–मेल पर शिकायत से संबंधित लंबित प्रतिवेदन की सूची उपलब्ध हो तथा इसके निरंतर फॉलोअप हेतु जिला स्तर पर टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पदस्थापना की गई है। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत का निपटारा प्रखण्ड विकास कार्यालय में नहीं होने की स्थिति में अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है।

2. मासिक सहायता योजनाएँ एवं मृत्योपरांत देय अनुदान योजना

मासिक सहायता योजना के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं का उद्देश्य पात्र लाभुको को मासिक आधार पर आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो योजनाएँ सम्मिलित हैं जिनका सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर–सक्षम के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है। मासिक सहायता योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में दो योजनाओं यथा बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना तथा बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना संचालित है। साथ ही समाज के गरीब परिवारों के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के आलोक में अन्त्येष्टि करने तथा परिवार के लिए आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 3 अन्य योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना सम्मिलित है।

राज्य के अंतर्गत Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगियों तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एड्स रोगियों के लिए संबंधित योजना का लाभ लेने के लिए निम्नवत योग्यता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं:

1 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना

प्राप्त राशि : रू. 1,500/–

योग्यता/शर्त : Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी।

2 बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना

प्राप्त राशि : रू. 1,500/–

योग्यता/शर्त : 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एड्स रोगी।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना का लाभ लेने के लिए निम्नवत योग्यता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं:

(i) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

प्राप्त राशि : रू. 20,000/–

योग्यता/शर्त : बी.पी.एल. परिवार के 18–60 वर्ष आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु पर उसके शोक संतप्त परिवार को अनुदान देय होगा।

(ii) मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना

प्राप्त राशि : रू. 20,000/–

योग्यता/शर्त : किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना मृत्यु या 18–60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने पर उसके भारित परिवार या निकटतम संबंधी को अनुदान देय होगा। आत्महत्या के मामले में यह लाभ देय नहीं होगा।

(iii) कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना

प्राप्त राशि : रू. 3,000/–

योग्यता/शर्त : बी.पी.एल. परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर, उसकी अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को अनुदान देय होगा।

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभुको को लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड में जमा किया जायेगा। इसी प्रकार बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के अंतर्गत पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति का आवेदन विहित प्रपत्र में बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी कार्यालय में जमा किया जाता है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना से संबंधित आवेदन को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के आवेदन की स्वीकृति बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में RTPS केन्द्र पर प्रखंड कार्यालय में आवेदन किया जाना है तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए सादे कागज में अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जाना है। कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत सादे कागज पर मुखिया/वार्ड कमिश्नर को आवेदन दिया जाता है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना की स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाती है।

सामाजिक सहायता छत्र योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अतिरिक्त सम्मिलित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना तथा कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सक्षम कार्यालय के अंतर्गत DBT CELL द्वारा विकसित एवं संचालित ई–सुविधा पोर्टल पर उक्त योजनाओं के लाभुको की स्वीकृति उपरांत जिला/प्रखंड स्तर से संधारित करना सुनिश्चित किया जाना है।

ई–सुविधा पोर्टल के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं के लिए Beneficiary Management System विकसित किया गया है जिस पर स्वीकृत किये गए लाभुकों का विवरण संधारित किया जाना है ताकि पैरेंट्स–चाईल्ड मोड से भुगतान हेतु अग्रेतर कारवाई की जा सके।

ई–सुविधा पर सभी संबंधित योजनाओं के लाभुकों की विवरणी उनके बैंक खाता के साथ संधारित की जाएगी तथा लाभुकों की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लॉक कर Digital Signature/E-Sign किया जायेगा और उन्हें भुगतान हेतु अनुमोदित किया जायेगा। विदित हो कि सभी योजनाओं के लिए वार्षिक आवंटन/मांग के आलोक में जिलावार राशि के लिए Limit का निर्धारण तथा उसे बढ़ाने के लिए DBT कोषांग, सक्षम को अनुरोध किया जा सकता है। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा Digital Signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट से होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से लाभुक के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा। ई–सुविधा पोर्टल पर जिला/प्रखंड के स्तर से की गई लाभुकों की इंट्री में आवश्यक रूप से उसके स्वीकृति से संबंधित आदेश को (PDF File) के रूप में अपलोड किया जाना आवश्यक है। इसमें यह सुविधा भी दी गई है कि मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत यदि आवश्यक हो तो भुगतानोपरांत राशि की विवरणी उपलब्ध कराने पर उतनी राशि उसी खाता में Reimbursement के रूप में भेज दी जाएगी।

लाभुकों की सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लॉक कर Digital Signature/E-Sign किया जायेगा और तभी उन्हें भुगतान हेतु स्वीकृत माना जायेगा। भुगतान के लिए प्रक्रिया हेतु अनुमोदित करने से पूर्व सभी सहायक निदेशक आवश्यक रूप से संतुष्ट हो ले कि पोर्टल पर लॉक की गई लाभुक की विवरणी तथा राशि की विवरणी सही है। Digital Signature/E-Sign की सुविधा उपलब्ध होने तक सहायक निदेशक द्वारा ई–सुविधा पर लॉक किये गए डाटा को ही रेडी फॉर पेमेंट मानते हुए राज्य स्तर से भुगतान किया जायेगा।

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का यह दायित्व होगा कि नियमित रूप से ई–सुविधा पोर्टल में लाभार्थियों की विवरणी विशेषकर बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में मृत लाभुक के Deletion की प्रक्रिया नियमित रूप से सम्यक परीक्षण/सत्यापन के पश्चात ई–सुविधा पोर्टल पर लॉक कर Digital Signature/E-Sign करना सुनिश्चित करेंगे।

राशि की उपलब्धता के आलोक में Ready for Payment फाइल पर निदेशक के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी तत्पश्चात अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपादित कर भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी और लाभार्थियों के खाता में सीधे भुगतान (DBT) किया जायेगा। DBT हो जाने के उपरांत Ready for Payment फाइल वस्तुतः Paid फाइल बन जायेगी जिसकी Hardcopy को प्रत्येक प्रखंड/पंचायत में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संधारित किया जायेगा।

''सक्षम'' कार्यालय के अंतर्गत गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कोषांग राज्य स्तरीय DBT की पूरी प्रक्रिया

का संधारण करना सुनिश्चित करेगी। साथ ही Hardcopy में सारांश (Summary) को अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निदेशक द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित कर कार्यालय में अभिलेखित कर सुरक्षित रखेगी।

ई–सुविधा पर सम्मिलित योजनाओं की इंट्री तथा लाभुक को होने वाले भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत है: मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई–सुविधा पोर्टल पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है।

स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से उसका बैंक खाता और आई.एफ.एस. कोड है या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत भुगतान के लिए दो विकल्प उपलब्ध है। प्रथम विकल्प के तहत प्रखंड से योग्य लाभुक की विवरणी स्वीकृत आदेश के साथ बैंक खाता की विवरणी सहित ई–सुविधा पर इंट्री की जाएगी तथा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से लॉक एवं Digital Signature/E-Sign किया जायेगा। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा Digital Signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट से होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से लाभुक के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा। द्वितीय विकल्प के तहत लाभुक को भुगतान करने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी यदि Reimbursement की मांग करते हैं तो भी ई–सुविधा के माध्यम से सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा Digital Signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट से होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से चाईल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से प्रखंड विकास पदाधिकारी के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृत तथा सत्यापनोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई–सुविधा पोर्टल पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है।

स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता और आई.एफ.एस. कोड है या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई–सुविधा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आवश्यकतानुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है।

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई–सुविधा पोर्टल पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री की जा सकती है।

स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता है या नहीं और उसका नाम बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं।

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में बैंक खाता, आधार कार्ड और लाभार्थी के नाम में किसी प्रकार के अंतर को दूर करने के उपरांत ही पोर्टल में अपलोड किया जायेगा। इसके आलोक में आवश्कतानुसार नया बैंक खाता खोलने या आधार में संशोधन करने की पूरी व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और त्रुटि–सुधार कैंप का भी आयोजन नियमित रूप से किया जायेगा। जिन लाभुकों का खाता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है उनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी का खाता संख्या इंट्री किया जा सकता है एवं उसी खाता में राशि का भुगतान किया जायेगा ताकि वैसे सभी लाभुकों को लाभ प्रदान किया जा सके।

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिए सभी पंचायत सचिव तथा नगर निकाय क्षेत्र में सभी टैक्स दारोगा अथवा अन्य प्राधिकृत सरकारी कर्मी द्वारा मृत्यु उपरांत लाभुकों से संबंधित विवरणी समेकित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापनोपरांत जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से ई–सुविधा पर संधारित की जाएगी।

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराये गए बैंक खाता संख्या में किया जायेगा। वैसे लाभुक जिनका भुगतान पंचायत सचिव/नगर निकाय के लिए प्राधिकृत कर्मी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है किन्तु राशि Reimburse नहीं किया जा सका है, उन लाभुकों की विवरणी सत्यापन उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समेकित कर विहित प्रपत्र में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध करायी जायेगी। सहायक निदेशक द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में प्राप्त सत्यापित सूची को ई–सुविधा पोर्टल पर इंट्री करना सुनिश्चित किया जायेगा।

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान सीधे लाभुक को न होकर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के बैंक खाता में तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत/नगर निगम के खाता में देय होगा। इसके लिए वैसे लाभुक जिनका भुगतान पंचायत सचिव/नगर निकाय के लिए प्राधिकृत कर्मी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है किन्तु राशि Reimburse नहीं किया जा सका है, उन लाभुकों की विवरणी सत्यापन उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समेकित कर विहित प्रपत्र में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्धारित मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से मृत व्यक्ति की विवरणी के साथ हस्ताक्षरित प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त सूची को सहायक निदेशक के कार्यालय से ई–सुविधा में इंट्री की जाएगी तथा लॉक एवं Digital Signature/E-Sign करते हुए भुगतान हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध किया जायेगा। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा Digital Signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंट्रीग्रेशन के माध्यम से होस्ट से होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरेंट खाता से पंचायत/नगर निकाय/नगर निगम के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा।

3. मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

समाज के गरीब परिवारों के विकलांग महिला / पुरुषों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दो योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना समाहित होंगी। अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला / पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा। यदि ऐसे विवाह में पति / पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अन्तर्जातीय विवाह करते है तो दिव्यांग विवाह के साथ–साथ अन्तर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणस्वरूप, यदि पति–पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अंतर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

राज्य के अंतर्गत कार्यान्वित मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना) के लिए पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैः

छत्र/योजना का नाम

1. मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (निःशक्तजन विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना)

देय राशि : रू. 1,00,000 / –

पात्रता : अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला / पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन विवाह के लिए प्रत्येक दिव्यांग को अनुदान देय होगा। अन्तर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों में पात्रता होने पर दोनों के लिए अनुदान देय होगा।

योजनाओं के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जमा करना होगा तथा इसके स्वीकृति पदाधिकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग होंगे।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा भुगतान हेतु ई–सुविधा पोर्टल पर संचारित की जायेगी।

मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ई–सुविधा पर लॉक एवं Digital Signature/E-Sign किये गए लाभुक के लिए बैंक के पैरेंट खाता से चाइल्ड खाता में आवश्यक राशि क्रेडिट होगी। तदोपरांत सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त अनुरोध एवं बैंक एडवाइस के आधार पर विहित लाभुक के नाम से 3 साल के अवधि के लिए Fixed Deposit तैयार कर लाभुक को उपलब्ध करा दिया जायेगा। परिपक्वता के उपरांत लाभुक को ब्याज सहित कुल राशि डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर अथवा संबंधित बैंक के बचत खाता में उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

राज्य में वृद्धजनों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन हेतु एक नयी योजना "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना" जिसमें राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और जिन्हें केन्द्र / राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न हो रहा हो, उन्हें 60–79 वर्ष आयु वर्ग के लिए रू. 400 (चार सौ) एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए रू. 500 (पाँच सौ रुपये) का मासिक पेंशन देय होगा तथा जो वित्तीय वर्ष 2019–20 अर्थात 01.04.2019 से भुगतेय होगा, की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 92.50 लाख वृद्धजन होंगे जिसमें केन्द्र / राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्तकर्ता लगभग 56 लाख वृद्धजन ही होंगे। इस प्रकार राज्य के अवशेष 36.50 लाख वृद्धजन ऐसे हैं जिन्हें सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु सम्प्रति कोई पेंशन का लाभ सरकार द्वारा प्रदत्त नहीं है।

3. वर्णित परिस्थिति में इन वृद्धजनों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुमान्य दर एवं प्रक्रिया के सदृश्य ही मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में दर एवं प्रक्रिया अनुमान्य होगा।

4. इस योजना के सफल संचालन हेतु 1 प्रतिशत आकस्मिकता मद में राशि व्यय होगी तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 1,800.00 (एक हजार आठ सौ) करोड़ का व्यय भार संभावित है।

5. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत लाभार्थी विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर प्रखण्ड कार्यालय स्थित RTPS काउन्टर पर जमा कर तय समय सीमा के अंदर योजना का लाभ ले सकते हैं।

6. इस योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय होंगे।

7. इस योजना के लिए अलग बैंक खाता 'सक्षम' में संधारित होगा, जिससे इस योजना के लिए State Lavel DBT के द्वारा nodal account से लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकता है। समाज कल्याण विभाग को भुगतान प्रक्रिया आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

9. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पर लोक वित्त समिति की अनुशंसा ज्ञापांक 85 / लो.वि. / यो.वि., पटना दिनांक 15.02.2019 द्वारा एवं मंत्रिपरिषद द्वारा संचिका संख्या–03 / यो.–03 / 2019 के पृष्ठ संख्या–05 / टि. पर दिनांक 18.02.2019 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अधिसूचना संख्याः 03 / यो.–03 / 2019 / 1247 पटना, दिनांक : 26 / 02 / 17

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अन्य तथ्यः

बिहार में सामाजिक स्तर पर वृद्धजनों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाज में इनका विकास भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार वृद्धजनों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमतावर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए प्रतिबद्ध है तथा इनके समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही उनके लिए राज्य में बेहतर सामाजिक वातावरण के निर्माण की दिशा में प्रयासरत है। राज्य सरकार ने वृद्धजनों के सशक्तिकरण तथा विकास के लिए न केवल नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं बल्कि विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से भी इस दिशा में सार्थक प्रयास किये हैं। राज्य सरकार वृद्धजनों के लिए भारतीय संविधान में निहित प्रवधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है उनसे जुड़े मुद्दों को रेखांकित करते हुए उनके विकास तथा सशक्तिकरण की राह में आनेवाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए संकल्पित है।

वर्ष 2011 के जनसँख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में वृद्धजनों की जनसँख्या 12 करोड़ से भी अधिक है। बिहार में भी कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा 2011 के जनसँख्या के अनुसार अर्थात 55 लाख से भी ज्यादा वृद्धजन निवासित हैं। वृद्धजनों की वर्तमान संख्या लोगों के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि तथा वृद्धि दर के आंकड़ों के आलोक में संभवतः 90 लाख से भी अधिक की है जिसमें से अभी भी 36 लाख से अधिक लाभुक वृद्धा पेंशन से वंचित हैं। वृद्धजनों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए समाज कल्याण विभाग प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से एक ओर जहाँ उन्हें समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए सकारात्मक सहयोग दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर उनके सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास एवं आवासन, स्वास्थ्य की देखभाल, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु मार्गदर्शन आदि के लिए भी प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुये राज्य के सभी आय वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए एक नई योजना "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना" प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों/समुदायों के 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न पेंशन योजनाओं से वंचित राज्य के वृद्धजनों को अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समान रू. 400 मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही 80 वर्ष या अधिक आयु के अति वृद्धजन, अन्य वृद्धजनों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुरूप रू. 500 मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

किसी भी आय वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय के परिवार के 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला/पुरूष मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त पेंशनधारी सरकारी कर्मियों को छोड़कर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करना होगा। सभी प्रखंडों में प्राप्त सभी आवेदन प्रत्येक दिन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी द्वारा वेब सर्विस के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सुचना तंत्र सोशल सिक्यूरिटी पेंशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (SSPMIS) को प्राप्त होगी। प्राप्त सुचना के अलावा स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जो भी सूचनाएँ प्रासंगिक हैं उन सबको प्रखंड के संबंधित डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा SSPMIS में इंट्री की जायेगी तथा प्राप्त सभी संबंधित दस्तावेजों को SSPMIS में उपलब्ध डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत स्कैन करके सुरक्षित रूप में संधारित किया जायेगा। तत्पश्चात पंचायत सचिव के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया की जाएगी। पंचायत सचिव से प्राप्त अनुसंशा तथा संधारित दस्तावेजों के आलोक में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी की

अनुशंसा पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से SSPMIS पर की जायेगी। ऑनलाइन स्वीकृत करने के उपरांत स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि के साथ स्वतः निर्गत होगा साथ ही इसकी सूचना यदि लाभुक का मोबाइल संख्या संधारित हो तो उसके मोबाइल पर भी दी जायेगी।

स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक एवं आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता है या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता और आधार कार्ड में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं। बैंक खाता, आधार कार्ड और लाभार्थी के नाम में किसी प्रकार के अंतर को दूर करने के उपरांत ही पोर्टल में अपलोड किया जायेगा।

ई—लाभार्थी पोर्टल पर प्राप्त नये आवेदनों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नियमित रूप से PFMS को बैंक खाता आदि सत्यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अथवा उसके अधिकृत संस्था/सक्षम/एन.आई.सी. द्वारा अग्रसारित किया जाएगा।

PFMS से सत्यापनोपरांत त्रुटिपूर्ण पाए गये आवेदनों में त्रुटी सुधार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब किया जायेगा और इसके लिए आवश्यकतानुसार त्रुटी सुधार कैम्प का भी आयोजन किया जाएगा।

PFMS से सत्यापनोपरांत त्रुटी रहित पाए गए लाभुकों की सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लॉक कर Digital Signature/E-Sign किया जाएगा और तभी उन्हें पेंशन भुगतान हेतु स्वीकृत माना जायेगा।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत लाभुकों को राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रक्रिया के तहत लाभुकों को किया जाना है। इस प्रक्रिया में लाभुकों के द्वारा उपलब्ध कराये गए खाता संख्या के आधार पर PFMS के माध्यम से लाभुकों के खाते में सीधे पेंशन की राशि का भुगतान राज्य स्तर से ही किया जायेगा।

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक Randomly/ Cross-Check करेंगे और त्रुटी पाए जाने पर उसका निवारण कराकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से पुनः लॉक करा के Digital Signature/E-Sign किया जाए जिसे उनके द्वारा सम्यक परिक्षण/सत्यापन के पश्चात लॉक/फ्रीज कर अग्रसारित किया जायेगा।

प्रत्येक माह की 10 तारीख के उपरांत ई—लाभार्थी पोर्टल पर लाभार्थियों की विवरणी को शुद्ध एवं अद्धतन मानते हुए उन्हें पूर्ववर्ती माह तक का पेंशन भुगतेय होगा। भविष्य में लाभार्थियों की विवरणी में किसी प्रकार की त्रुटी पाए जाने पर प्रथम दृष्टया उसकी जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की मानी जाएगी और तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

पेंशन भुगतान यथासंभव त्रैमासिक/मासिक होगा। पेंशन भुगतान हेतु इस निर्दिष्ट चक्र (त्रैमासिक/मासिक) में विहित माह/अवधि हेतु लाभार्थियों की विवरणी के आलोक में राज्य स्तर से निदेशालय के निदेश के आलोक में पेमेंट फाईल तैयार की जाएगी एवं PFMS पोर्टल के सर्वर पर अपलोड किया जायेगा और PFMS से समन्वय बनाये रखा जायेगा ताकि किसी समस्या/त्रुटि का निराकरण अविलम्ब हो सके।

PFMS से पेमेंट फाईल के सत्यापनोपरांत उसे यथाशीघ्र निदेशालय स्तर से अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा PFMS पर अनुमोदित करते हुए Ready for Payment अर्थात भुगतान हेतु तैयार किया जायेगा।

राशि की उपलब्धता के आलोक में Ready for Payment फाईल पर निदेशक के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी तत्पश्चात अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपादित कर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी और लाभार्थियों के खाता में सीधे भुगतान (DBT) किया जायेगा।

DBT हो जाने के उपरांत Ready for Payment फाईल वस्तुतः Paid फाईल बन जायेगा जिसके Hardcopy को प्रत्येक प्रखंड/पंचायत में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संधारित किया जायेगा।

''सक्षम'' कार्यालय के अंतर्गत गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कोषांग राज्य स्तरीय DBT की पूरी प्रक्रिया का संधारण करान सुनिश्चित करेगी तथा Paid फाईल, अन्य सुसंगत विवरणी आदि की Soft Copy CD/DVD एवं Cloud में Backup रखेगी। साथ ही Hardcopy में सारांश (Summary) को अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निदेशक द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित कर कार्यालय में अभिलेखित कर सुरक्षित रखेगी।

किसी लाभार्थी की मृत्यु अथवा त्रुटिपूर्ण विवरणी के कारण गलत भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली की कार्रवाई करने की जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा उसके वसूली सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी संबंधित सहायक निदेशक की होगी। पुरे मामले का विधिवत अनुश्रवण करने और उपयोगिता प्रमाणक देने की जिम्मेवारी सक्षम (DBT) कोषांग की होगी।

राज्य एवं केन्द्र संपोषित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अनुश्रवण का कार्य प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा निरंतर किया जाएगा इसके साथ ही नियमित अनुश्रवण "सक्षम" कार्यालय में गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कोषांग (DBT CELL) द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त "नियमित रूप से राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा तथा राज्य स्तर से जाँच दल द्वारा भी अनुश्रवण कार्य किया जाएगा।

सभी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अब DBT प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान सीधे लाभुक के खाते में राज्य स्तर से सक्षम के DBT CELL द्वारा PFMS पोर्टल पर उपलब्ध सूची को अधिकृत पदाधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने के उपरांत हस्तांतरित किया जाता है। इस स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन MIS/ई–लाभार्थी/PFMS से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर ही सक्षम द्वारा 42–A में उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में शिकायत निवारण हेतु एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है (https://grievance.sspmis.in) जिसपर लाभुक स्वयं जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है अथवा टोल फ्री नं. 18003456262 पर फोन कर हेल्पडेस्क के माध्यम से निःशुल्क अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत निवारण के लिए सॉफ्टवेयर में ही यह व्यवस्था की गई है की संबंधित पदाधिकारी को प्रतिदिन ई–मेल पर शिकायत से संबंधित लंबित प्रतिवेदन की सूची उपलब्ध हो तथा इसके निरंतर फॉलोअप हेतु जिला स्तर पर टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पदस्थापना की गई है। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत का निपटारा प्रखण्ड विकास कार्यालय में नहीं होने की स्थिति में अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री
दिव्यांगजन सशक्तिकरण
छत्र योजना

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना

1. उद्देश्य

इस छत्र–योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र की सभी योजनाओं को दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराना है। साथ ही समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए उनके अधिकार सुनिश्चित करना है।

2. छत्र–योजना विवरणी

इस छत्र योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी:

2.1 सम्बल

दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार की सभी योजनाएँ यथा मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना के तहत विशेष सहायता जैसे अनुदान, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार हेतु ऋण, कृत्रिम अंग एवं उपकरण; विशेष विद्यालय जैसे नेत्रहीन विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय; बहुदिव्यांगता एवं अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान जैसे सम्प्रति सिर से जुडे संयुक्त जुड़वा बहनें सबा एवं फरहा शकील को दिया जा रहा अनुदान; तथा राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार की योजनाओं में राज्य की सहभागिता से संबंधित योजनाएँ इसमें समाहित होंगी। समावेशी विकास की आवश्यकता एवं नीति के आलोक में प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पृथक विद्यालय नहीं होकर यथासंभव एकीकृत रूप से विशेष विद्यालय होगा।

2.2 सिपडा

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने यथा अधिनियम में प्रावधानित राज्य सलाहकार समिति, राज्य आयुक्त के सलाहकार समिति, जिला स्तरीय समिति तथा अनुसंधान एवं विकास के अलावे केन्द्र सरकार के द्वारा इस निमित्त संचालित सभी योजनाएँ समाहित होगा।

3. निधि का संवितरण

दिव्यांग अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 2016 के तहत प्रावधानित एक कोष "दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोष" स्थापित होगा जिसके माध्यम से निधि का संवितरण योजनावार निम्नवत होगा :

3.1 सम्बल

सम्बल के तहत संचालित सभी योजनाओं के लिए शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य की सहभागिता हेतु राज्यांश एवं लाभुकों को आवश्यक पूरक अनुदान राशि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा देय होगा।

3.2 सिपडा

इसके अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं के लिए शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

4. देय राशि

4.1 सम्बल

इस योजना अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु रू. 2.00 लाख तक का ऋण देय होगा। शिक्षा ऋण एवं छात्रवृत्ति का भुगतान इस के तहत नहीं होगा क्योंकि इसका भुगतान शिक्षा विभाग की योजनाओं से देय है। परन्तु विशेष विद्यालय में शिक्षण हेतु छात्रवृत्ति देय होगी जिसका दर गैर–दिव्यांगजन को देय दर से अन्यून होगा। अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान तथा राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य अनुदान का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। विशेष विद्यालय एवं आश्रय गृह के संचालन हेतु अनुदान प्रति लाभार्थी की दर से देय होगा जिसका निर्धारण निविदा के माध्यम से होगा।

4.2 सिपडा

इस योजना के अंतर्गत देय राशि का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

5. पात्रता

इस छत्र–योजना के तहत दिव्यांगजन से तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होगी :

5.1 सम्बल

इस योजना के तहत विशेष सहायता, अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान एवं राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में दिव्यांगजन एवं सेवा प्रदायी संस्था की पात्रता निम्नानुसार होगी:

(i) विशेष सहायता अंतर्गत सभी मामलों यथा विशेष विद्यालय में शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, स्वरोजगार हेतु ऋण आदि के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा अधिकतम दो लाख रुपये तक होगी। साथ ही आयु सीमा स्वरोजगार ऋण के लिए 18–60 वर्ष तथा कृत्रिम अंग एवं उपकरण के लिए 5 वर्ष से अधिक होगी। इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति विशेष विद्यालय में शिक्षण हेतु अधिकतम 6 वर्षों तक ही देय होगा।

(ii) अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान बहुदिव्यांगजन एवं न्यायादेश से आच्छादित सभी मामलों में देय होगा एवं इसमें आय, आयु आदि की सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(iii) विशेष विद्यालय हेतु विद्यार्थी की आयु सीमा 6–18 वर्ष होगी।

(iv) आश्रय गृह (आशियाना / साकेत) हेतु लाभार्थी (पुरुष / महिला) की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी।

(v) आश्रय गृह (आशियाना / साकेत) एवं विशेष विद्यालय संचालन हेतु गैर सरकारी संस्था की न्यूनतम अहर्ता समय–समय पर आमंत्रित निविदा की शर्तों के अनुरूप होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। साथ ही नियोक्ता और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा एवं विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी।

5.2 सिपडा

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा इसकी नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप इस योजना के तहत दिव्यांगजन एवं एतद संबंधी सेवा प्रदायी संस्थाओं की पात्रता होगी।

6. प्रक्रिया

इस छत्र–योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगी :

6.1 आवेदन की प्रक्रिया

विहित प्रपत्र में आवेदन कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए प्रखण्ड कार्यालय/जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा शिक्षा ऋण, स्वरोजगार ऋण, दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जमा करना होगा। इसकी स्वीकृति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा की जाती है।

6.2 धनराशि/उपस्कर वितरण की प्रक्रिया

(i) इस छत्र–योजना अंतर्गत एक ही बैंक में योजनावार पृथक बैंक खाता हो सकेगा, परन्तु सभी खातों के लिए बैंक में एक common customer-id होगा जिससे इस छत्र–योजनाधीन सभी बैंक खाते संबद्ध (linked) होंगे।

(ii) योजनावार बैंक खातों (Parent Account) का संचालन स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर (सक्षम) अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य संस्थान/कार्यालय/निदेशालय के माध्यम से किया जायेगा।

(iii) धनराशि का वितरण Parent-Child Account पद्धति के अनुसार जिला कार्यालय द्वारा अपने Child Account से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकेगा।

(iv) उपस्कर/कृत्रिम अंग का वितरण प्रखंड/जिला स्तरीय कैंप लगाकर किया जायेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया

शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण के मामले में राशि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम द्वारा लाभुक को उपलब्ध करायी जाती है। पिछड़ा वर्ग वित्त निगम से प्राप्त व्यय विवरणी के आधार पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। इसके अलावे अन्य योजनाओं में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त व्यय विवरणी के आधार पर सक्षम द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के माध्यम से इसे महालेखाकार को भेजा जाता है।

6.4 अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस छत्र–योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं में जिला स्तर पर सहायक निदेशक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होते हैं तथा प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को भेजते हैं। विशेष परिस्थिति में निदेशालय स्तर से जाँच दल का गठन कर निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय–सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय कार्यरत है, जहाँ दिव्यांगजन सीधे परिवाद दायर कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

अधिसूचना संख्याः 03/यो.–27/2017/5722 पटना, दिनांक : 27/11/2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्य तथ्यः

1. मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना ''सम्बल'':

सम्बल योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक गंभीरता के जरूरतमन्द दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण, शिक्षा/स्वरोजगार ऋण, प्रमाणीकरण आदि किया जाता है।

(i) **कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण :**

(क) कोई भी स्त्री/पुरुष।

(ख) उम्र–चलन्त दिव्यांगता के लिए 14 वर्ष से अधिक।

(ग) दिव्यांगता– न्यूनतम 40 प्रतिशत।

(घ) आय– एक लाख वार्षिक तक।

(ङ) आवेदन की प्रक्रिया– विहित प्रपत्र में (तिपहिया साइकिल/श्रवण यंत्र/वैशाखी/नेत्रहीनों के लिए श्वेत छड़ी हेतु) दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/आय प्रमाण–पत्र/उम्र प्रमाण–पत्र/निवास प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति के साथ आवेदन–पत्र प्रखण्ड कार्यालय/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग–सह–जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में लिया जाता है।

(ii) **स्वरोजगार ऋण :** इसके तहत निम्नांकित उद्यम/व्यवसाय हेतु ऋण लिया जा सकता है :

(A) लघु उद्यम/लघु व्यवसाय में स्व–नियोजन (B) दिव्यांग उद्यमियों को सहायता (उत्पादन एवं उत्पाद क्षेत्र में) (C) कृषि कार्य के क्षेत्र में (D) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक साधन के निर्माण के लिए (E) कारीगरी एवं उद्यमी विकास कार्य के लिए यह ऋण लिया जाएगा।

(क) पात्रता : कोई भी स्त्री/पुरुष, संबंधित जिला के निवासी हों जहाँ से ऋण लिया जाना है।

(ख) उम्र : 18 वर्ष से 60 वर्ष तक।

(ग) अर्हता : न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत।

(घ) आय : अधिकतम दो लाख तक वार्षिक।

(ङ) ऋण की राशि : ऋण की अधिकतम राशि दो लाख होगा। भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है।

(च) आवेदन की प्रक्रिया : आवेदन दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग–सह–जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में विहित प्रपत्र में शर्तों के साथ लिया जाएगा।

(iii) **प्रमाणीकरण :** सभी दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिले में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन समय–समय पर किया जाता है। उक्त शिविर में चिकित्सक दल द्वारा जाँचोपरान्त दिव्यांगता प्रमाण–पत्र दिया जाता है। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, को पेंशन का भी लाभ प्रदान किया जाता है। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला सदर अस्पताल में दिव्यांगता जाँच एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है।

(iv) **नेत्रहीन विद्यालय का संचालन :** 06–18 वर्ष के आयु वर्ग के नेत्रहीन बच्चों के लिए राज्य में कुल 03 नेत्रहीन विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

(v) **मूक–बधिर विद्यालय का संचालन :** 06–18 वर्ष के आयु वर्ग के मूक–बधिर बच्चों के लिए राज्य में कुल 05 मूक–बधिर विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

(vi) **मानसिक मंद बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय 'चमन':** इसका मुख्य उद्देश्य 06 से 18 वर्ष आयु के मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय 'चमन' के माध्यम से देखभाल एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत 06 से 18 वर्ष तक के स्वपरायणता (Austism), प्रमस्तिष्क अंगघात (Cerebral Palsy) मानसिक मंदता (Mental Retardation) तथा उससे संबंधित अन्य विकलांगता एवं बहुविकलांगता (Multiple Disabilties) से ग्रसित बच्चों को लाभ प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में पटना तथा गया जिला में 3 दिसम्बर, 2012 से विद्यालय प्रारंभ किया गया है तथा इसके माध्यम से 50 बच्चे प्रति विद्यालय को लाभ दिया जा रहा है।

(vii) **बहु–दिव्यांगता से संबंधित योजना:** राज्य सरकार द्वारा संप्रति सिर से जुडे संयुक्त जुड़वां बहनें सबा एवं फरहा शकील को रू. 20,000 प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

2. सिपडा (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का क्रियान्वयन):

(i) **स्टेट एडवाइजरी बोर्ड (राज्य सलाहकार बोर्ड) :** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 66 के तहत इस बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य सलाहकार बोर्ड दिव्यांगता के विषय पर राज्य की एक परामर्शी एवं सलाहकार निकाय है, जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं उनके अधिकारों के सम्पूर्ण संरक्षण के लिए राज्य के व्यापक नीति का सतत मूल्यांकन को बढ़ावा देने का कार्य करती है। राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की बैठक प्रत्येक छः माह में कम–से–कम एक बार निर्धारित है।

(ii) **राज्य आयुक्त के लिए सलाहकार समिति:** यह समिति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74 उप–धारा 8 में प्रावधानित है। इस समिति का गठन दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर राज्य आयुक्त को सलाह देने के लिए किया गया है।

(iii) **जिला स्तरीय समिति:** यह समिति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 72 में प्रावधानित है। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों पर जिला प्रशासन को सलाह देती है।

(iv) **अनुसंधान एवं विकास:** यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 28 में प्रावधानित है।

(v) **दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि:** यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 88 में प्रावधानित है। राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि का प्रबंधन करने के लिए प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत निम्न प्रकार की राशि क्रेडिट की जाती है :

(क) अनुदान, उपहार, दान, लाभ, वसीयत या स्थानान्तरण के माध्यम से प्राप्त सभी रकम,

(ख) अनुदान सहायता सहित राज्य सरकार से प्राप्त सभी रकम, तथा

(ग) ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी रकम जिन्हें राज्य सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।

(vi) **दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS):** इस योजना के तहत दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालयों (मूक बधिर एवं दृष्टिहीनों के लिए) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, मानव शक्ति का विकास आदि के संचालनार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र का अनुदान विमुक्ति किया जाता है।

(vii) **एडिप (Assistance for Purchase & Fitting of Aids & Appliances):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा

दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण (ट्राई साइकिल, वैशाखी, कैलिपर आदि) प्रदान करने हेतु जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, भारत रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा, डी.आर.डी.ए. के साथ–साथ गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था को अनुदान देने का प्रावधान है।

(viii) **सुगम्य भारत अभियान :** सिपडा योजना के अधीन सुगम्य भारत अभियान का शुभारम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान का संचालन 3 दिसम्बर, 2015 से किया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक परिवहन एवं सरकार के वेबसाईट को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाना है। इस अभियान के तहत पटना शहर के 28 सरकारी महत्वपूर्ण भवनों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया तथा सुगम्यता परीक्षण (Access Audit) का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित एजेन्सी स्वाभिमान, भुवनेश्वर के द्वारा किया गया।

(ix) **UDID परियोजना (Uniqe Disability ID For Persons with Disability):** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजनों को यूनिक आई.डी. उपलब्ध कराने के उद्देश्य से UDID परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है। इस योजना के तहत दिव्यांगजन अपना आवेदन ऑनलाईन समर्पित कर सकते हैं तथा उन्हें परियोजना के तहत एक यूनिक नम्बर प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा आई.डी. कार्ड निर्गत किया जायेगा। यूनिक आई.डी. कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के सभी जिलों में UDID परियोजना अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु यूनिक आई.डी. कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिलों में सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण–सह–जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं सिविल सर्जन जिला प्रशासक के रूप में नामित हैं। यूनिक आई.डी. कार्ड प्राप्त करने हेतु कोई भी दिव्यांगजन ऑनलाईन पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सिविल सर्जन कार्यालय में भी विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति किया जाता है। आवेदकों को यूनिक आई.डी. कार्ड हेतु आवेदन देने के लिए फोटो, पते का प्रमाण–पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होती है। आवेदन के उपरांत आवेदकों को यूनिक आई.डी. कार्ड डाक के माध्यम से उनके द्वारा दिये गये पते पर प्राप्त होता है।

समेकित
बाल विकास
छत्र योजना

समेकित बाल विकास छत्र योजना

1. उद्देश्य

इस छत्र–योजना का उद्देश्य छः वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती, प्रसूति महिला तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना तथा उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य/पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना है। मृत्यु दर, रूग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाने के साथ ही बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना तथा बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना है।

2. छत्र–योजना विवरणी

इस छत्र योजना अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी :

2.1 आँगनबाड़ी सेवाएँ

इस योजना अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएँ (सामान्य), पूरक पोषाहार, नेशनल क्रेश स्कीम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना, मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम (एम.आई.एस.), अनुग्रह अनुदान एवं आँगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को राज्य भत्ता मानदेय समाहित होंगे।

2.2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

इसके अन्तर्गत भारत सरकार के निदेश के आलोक में गर्भवती एवं प्रसूति महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी।

2.3 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

इसके अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने के साथ–साथ पूरक पोषाहार प्रदान किया जायेगा।

3. निधि का संवितरण

इस छत्र योजना के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि का अनुपात समेकित बाल विकास सेवा (सामान्य) अन्तर्गत 60:40,0:100 पूरक पोषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत 50:50, नेशनल क्रेश स्कीम 60:30:10, राष्ट्रीय पोषण मिशन 60:40, आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण अन्तर्गत 60:40,75:25 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अन्तर्गत 60:40 तथा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (सबला) अन्तर्गत पोषाहार कार्यक्रम के लिए 50:50 एवं अन्य योजना के लिए 60:40 के अनुपात में होगी। इसके अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना, मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम (MIS), अनुग्रह अनुदान एवं आँगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को राज्य भत्ता मानदेय हेतु शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

4. देय राशि/ सेवाएँ

इस छत्र योजना अन्तर्गत उक्त मदों में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित दरे लागू होगी।

4.1 आँगनबाड़ी सेवाएँ

आँगनबाड़ी केन्द्र पर नामांकित 3–6 वर्ष के बच्चों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार Hot Cooked Meal एवं स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान किया जाता है तथा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती तथा प्रसूति महिलाओं को माह में एक बार THR पूरक पोषाहार के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके अलावे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रतिरक्षण स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं रेफरल सेवाएँ प्रदान की जाती है। क्रेश में बच्चों की देखभाल, सम्पूर्ण विकास के साथ–साथ पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार की सुविधा दी जाती है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पोषण के स्तर में सुधार हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। साथ ही आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु नामांकित बच्चों को पोशाक हेतु रू. 400 प्रति वर्ष उपलब्ध करायी जाती है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान के रूप में रू. 4 लाख की राशि निकटतम संबंधी को उपलब्ध करायी जाती है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा आँगनबाड़ी सेविका को रू. 750 आँगनबाड़ी सेविका (मिनी) को रू. 565 तथा सहायिका को रू. 375 प्रति माह की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाती है।

4.2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

इस योजना अन्तर्गत प्रति लाभार्थी महिला (गर्भवती/प्रसूति) को प्रथम जीवित संतान के लिए रू. 5,000 की राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा।

4.3 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

इसके अन्तर्गत सभी लाभार्थियों को प्रति माह टेक होम राशन एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. पात्रता

इस छत्र–योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होगी:–

5.1 आँगनबाड़ी सेवा

पूरक पोषाहार अन्तर्गत 6 माह से 6 वर्ष के सभी बच्चे, गर्भवती एवं प्रसूति, कामकाजी महिलाएँ आँगनबाड़ी

केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3–6 वर्ष के बच्चे, मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम (एम.आई.एस.), अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड तथा भारत सरकार/राज्य सरकार के आदेशानुसार स्थापना का संधारण आच्छादित होंगे।

5.2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

भारत सरकार के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश का अनुपालन करने वाली सभी गर्भवती एवं प्रसूति महिला आच्छादित होंगी।

5.3 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जानेवाली किशोरी बालिकाएँ आच्छादित होंगी।

6. प्रक्रिया

इस छत्र–योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगी :

6.1 आवेदन की प्रक्रिया

आँगनबाडी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के सभी गृहों का आँगनबाड़ी सेविका द्वारा सर्वेक्षण कर आँगनबाड़ी केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के योग्य लाभार्थियों यथा– 0–6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं प्रसूति महिला, किशोरी बालिकाओं की सूची तैयार की जाती है। इस सूची में अंकित सभी योग्य लाभार्थी जो आँगनबाड़ी केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ यथा–पूरक पोषाहार, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, स्कूल पूर्व शिक्षा (पोशाक योजना) का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आँगनबाड़ी केन्द्र की संबंधित योजना की पंजी में नाम अंकित कराकर निर्धारित मापदण्ड का अनुपालन करते हुए लाभ प्राप्त करते हैं। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उनके निकटतम आश्रित के द्वारा विहित प्रपत्र वांछित कागजातों के साथ संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया जाएगा।

6.2 धनराशि वितरण की प्रक्रिया :

(i) आँगनबाड़ी सेवाएँ

(क) पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि बाल विकास परियोजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवंटित की जाती है। आवंटित राशि की निकासी कर संबंधित पदाधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र पर गठित आँगनबाड़ी विकास समिति के बैंक खाते में राशि भेजी जाती है, जिसकी निकासी कर 3–6 वर्ष के बच्चों को Hot Cooked Meal एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं प्रसूति महिलाओं को THR आँगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से दिया जाता है।

(ख) आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु आई.सी.डी.एस. द्वारा रू. 2 लाख तथा शेष राशि ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना के Convergence से किया जाना है। इसके अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. की केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को आवंटित की जाती है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर अग्रेतर कार्रवाई की जाती है।

(ग) आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के अन्तर्गत शत–प्रतिशत राज्य स्कीम की राशि आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवंटित की जाती है। उनके द्वारा आवंटित राशि की निकासी कर बच्चों को पोशाक हेतु राशि लाभार्थियों के अभिभावकों को उपलब्ध करायी जाती है।

(घ) मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम के अन्तर्गत शत–प्रतिशत राज्य स्कीम की राशि आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि आवंटित की जाती है। संबंधित पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर एम.आई.एस. कार्य हेतु भुगतान किया जाता है।

(ड़) अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका के सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में निर्धारित राशि आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को आवंटित की जाती है। उनके द्वारा राशि की निकासी कर निकटतम संबंधी को उपलब्ध करायी जाती है।

(च) आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका को राज्य भत्ता मानदेय का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के साथ निदेशालय स्तर से DBT के माध्यम से सीधा आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के बैंक खातों में की जाती है।

(ii) **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना**

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा DBT के माध्यम से PFMS के द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

(iii) **किशोरी बालिकाओं के लिए योजना**

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि बाल विकास परियोजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवंटित की जाती है। आवंटित राशि की निकासी कर संबंधित पदाधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र पर गठित आँगनबाड़ी विकास समिति के बैंक खाते में राशि भेजी जाती है, जिसकी निकासी कर किशोरी बालिकाओं को Take Home Ration आँगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से दिया जाता है।

(iv) उपर्युक्त समेकित सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता एवं सुगमता हेतु धनराशि के वितरण में आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में खोला जा सकेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से आई.सी.डी.एस. निदेशालय को भेजा जाता है। आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा विभागीय अनुमोदनोपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार/भारत सरकार को भेजा जाता है।

6.4 अनुश्रवण की प्रक्रिया

(i) **आँगनबाड़ी विकास समिति :** इस छत्र योजना की सभी सेवाएँ (भवन निर्माण एवं एम.आई.एस. को छोड़कर) आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर से प्रदान की जाती है, जिसकी निगरानी आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित आँगनबाड़ी विकास समिति द्वारा की जाती है।

(ii) **सामाजिक अंकेक्षण :** आँगनबाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा समय–समय पर राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

(iii) **पर्यवेक्षण/निरीक्षण :** इसके अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण हेतु औसतन 25 आँगनबाड़ी

केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षिका, परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पदस्थापित हैं।

(iv) **सूचना तकनीक से अनुश्रवण :** आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु ICT&RTM (Information Communication Technology & Real Time Monitoring) अन्तर्गत 'ICDS&CAS' (Common Application Software) तथा ''आँगन'' ऐप के द्वारा भी आँगनबाड़ी केन्द्रों का अनुश्रवन होगा।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है। साथ ही परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त तथा राज्य स्तर पर निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग से लिखित/दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते हैं।

अधिसूचना संख्याः 03/यो.–28/2017/5724 पटना, दिनांक : 27/11/2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

समेकित बाल विकास छत्र-योजना के अन्य तथ्यः

समेकित बाल विकास छत्र–योजना अन्तर्गत निम्न उपयोजनाएँ संचालित हैंः

1. समेकित बाल विकास योजना

इस योजना अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएँ (सामान्य), पूरक पोषाहार, आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना, मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम (एम.आई.एस.), अनुग्रह अनुदान एवं आँगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को राज्य भत्ता मानदेय समाहित है।

1.1 **पूरक पोषाहार :** राज्य के सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवा योजना (मिशन मोड) अन्तर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के सामान्य/कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं धातृ माताओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु पूरक पोषाहार कार्यक्रम में निम्न रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के आलोक में पोषाहार के मानकों का निर्धारण किया गया है :

लाभान्वितों का प्रकार	संशोधित दर	पोषाहार का मानक	
		कैलोरी (K cal)	प्रोटीन (gram)
बच्चे (6 माह से 72 माह)	रू. 8.00	500	15—12
अति कुपोषित बच्चे (6 माह से 72 माह)	रू. 12.00	800	25—20
गर्भवती एवं धातृ माताएँ	रू. 9.50	600	18—20

गर्म पका पूरक पोषाहार (Hot Cooked Meal) : 03 वर्ष से 06 वर्ष तक स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु आँगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों को तीन दिन खिचड़ी, एक दिन पुलाव, एक दिन रसियाव एवं एक दिन सूजी का हलवा दिया जाता है। इस तरह महीने में कुल 25 दिन गर्म पका भोजन सभी जिलों के आँगनबाड़ी केन्द्रों पर समान रूप से दिया जाता है। प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह के नास्ते में अंडे खाने वाले बच्चों को उबला अंडा और अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को अंकुरित चना एवं गुड़ दिया जाता है।

साप्ताहिक पोषाहार सूची		
दिन	**व्यंजन**	**महीना का दिन**
सोमवार	खिचड़ी	4
मंगलवार	रसियाव	4
बुधवार	खिचड़ी	4
बृहस्पतिवार	सूजी का हलवा	4
शुक्रवार	पुलाव	4
शनिवार	खिचड़ी	4
एक दिन और	खिचड़ी	1
	कुल दिन	25

टेक होम राशन (Take Home Ration) : गर्भवती, प्रसूति एवं 06 माह से 03 वर्ष के सामान्य/कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों को टी.एच.आर. के रूप में माह में एक बार 25 दिन के लिए सूखा राशन वितरित किया जाता है। गर्भवती, प्रसूति महिलाओं में अंडा खाने वाले को प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं शुक्रवार को (माह में सात बार) सुबह में एक उबला अंडा आँगनबाड़ी केन्द्र पर ही खिलाया जाता है। अंडा नहीं खाने वाली महिलाओं को पूर्ववत सोयाबड़ी खिलाया जाता है। 06 माह से 03 वर्ष तक के अंडा खाने वाले बच्चों को प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं शुक्रवार को एक–एक उबला अंडा आँगनबाड़ी केन्द्र पर ही खिलाया जाता है। अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को पूर्ववत सोयाबड़ी खिलाया जाता है।

लाभार्थी	लाभार्थी वर्ग	चावल	दाल	अतिरिक्त पोषण
6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	सामान्य रूप से कुपोषित बच्चे	2.50 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/प्रति माह)	1.25 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/प्रति माह)	सोयाबड़ी (250 ग्राम/उबला अंडा (सप्ताह में दो बार बुधवार–शुक्रवार को)
6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	अतिकुपोषित बच्चे	3.75 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/प्रति माह)	1.75 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/प्रति माह)	सोयाबड़ी (250 ग्राम/उबला अंडा (सप्ताह में दो बार बुधवार–शुक्रवार को)
महिलाएँ	गर्भवती एवं प्रसूति	3.50 कि.ग्रा. (प्रति महिला/प्रति माह)	1.50 कि.ग्रा. (प्रति महिला/प्रति माह)	सोयाबड़ी (250 ग्राम/उबला अंडा (माह में सात बार बुधवार एवं शुक्रवार को)

सुबह का नाश्ता (Morning Snacks) : यदि जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किसी सामग्री का दर बढ़ता है तो उसे Morning Snacks की राशि से वहन किया जाता है। साथ ही अगर अन्य सामग्री में राशि बचत होती है तो उससे सुबह के नाश्ते में अंकुरित चना–गुड़, गुड़–चूड़ा आदि दिया जाता है।

टिप्पणी :

(1) 5 जिलों (गया, सारण, सीवान, गोपालगंज एवं वैशाली) के 25 परियोजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 03–06 वर्ष के लाभार्थी को प्रत्येक बुधवार 18 ग्राम (150 ML गर्म पानी में घोलकर) प्रति बच्चा दूध उपलब्ध कराया जाता है, जिसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जा चुका है।

(2) तिरहुत प्रमण्डल के सभी 6 जिलों के 102 परियोजना अन्तर्गत Hot Cook Meal में Double Fortified Salt का उपयोग किया जा रहा है जो भविष्य में 2–3 चरणों में पूरे राज्य में विस्तारित किया जा सकता है।

1.2 **मनरेगा एवं आई.सी.डी.एस. के अभिसरण से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण**– भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण आई.सी.डी.एस. के अभिसरण से किया जा रहा है, जिसमें रू. 7 लाख के स्वीकृत प्राक्कलन में रू. 5 लाख मनरेगा योजना ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा एवं रू. 2 लाख आई.सी.डी.एस. से दी जाने वाली राशि में 60 प्रतिशत भारत सरकार एवं 40 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा व्यय किये जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में क्रमशः 1,000–1,000 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से मनरेगा एवं आई.सी.डी.एस. के अभिसरण से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण मद में आई.सी.डी.एस. द्वारा दी जाने वाली प्रति केन्द्र रू. 2 लाख के निर्धारित दर को परिवर्तित करते हुए प्रति केन्द्र रू. 1 लाख महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन उत्क्रमण – वित्तीय वर्ष 2018–19 से भारत सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र भवन उत्क्रमण मद में प्रति केन्द्र रू. 1 लाख को बढ़ाकर रू. 2 लाख प्रति केन्द्र व्यय करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंश 60:40 के अनुपात में निर्धारित है।

1.3 **पोशाक योजना :–** आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना राज्य प्रायोजित योजना है। आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों की अलग पहचान के साथ–साथ बच्चों में समरूपता एवं सामाजिक समरसता का भाव लाने के लिए सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03 वर्ष से 06 वर्ष तक प्रत्येक बच्चों को प्रति बच्चा रू. 400 वार्षिक लागत की दर से पोशाक उपलब्ध कराने हेतु नकद राशि भुगतान की जाती है।

1.4 **मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) :–** यह योजना राज्य प्रायोजित योजना है। आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली सेवाओं के प्रभावकारी अनुश्रवण के लिए निदेशालय स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की गयी है। साथ ही जिला/परियोजना स्तर पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करायी गयी है।

1.5 **अनुग्रह अनुदान :–** दिनांक 27.07.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा की गयी घोषणा के आलोक में राज्य अन्तर्गत कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं संविदा पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के स्थिति में उनके निकटतम आश्रित को रू. 4 लाख अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान किया जाता है।

1.6 **आँगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को राज्य भत्ता मानदेय :–** वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आँगनबाड़ी सेविकाओं को रू. 4,500, मिनी आँगनबाड़ी सेविकाओं को रू. 3,500 एवं आँगनबाड़ी सहायिकाओं को रू. 2,250 निर्धारित जो 60:40 के समानुपात से दिया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.10.2018 के प्रभाव से आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को रू. 1,150 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं को रू. 900 तथा आँगनबाड़ी सहायिकाओं को रू. 575 मानदेय प्रतिमाह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।

2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुये Wage Loss के विरूद्ध उन्हें आंशिक रूप से Compensate करना है।

इस योजना के अंतर्गत नगद लाभ राशि का हस्तांतरण डी.बी.टी. द्वारा पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से संबद्ध बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता में किया जाना है।

सभी गर्भवती/धातृ महिलाएँ, जो दिनांक 01.01.2017 या उसके बाद की तिथि से गर्भवती है, को प्रथम जीवित संतान के लिए सशर्त नगद लाभ रू. 5,000 की राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जाना है।

प्रथम किस्त– एल.एम.पी. के 150 दिनों के अंदर गर्भावस्था का पंजीकरण (Early Registration of Pregnancy) के बाद रू. 1,000।

द्वितीय किस्त– गर्भावस्था के छः माह पूरा होने पर कम से कम एक बार antenatal check-up के बाद रू. 2,000।

तृतीय किस्त– नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं बच्चे का टीकाकरण (BCG, OPV, DPT, Hepatitis 'B' का प्रथम चक्र) के बाद रू. 2,000।

संस्थागत प्रसव होने पर अन्य शर्तें पूरा करने वाली लाभार्थी को वर्तमान में संचालित जननी सुरक्षा योजना (JSY) शेष प्रोत्साहन राशि देय होगी जिससे उसे मातृत्व लाभ के रूप में औसत रू. 6,000 प्राप्त हो जाय।

लाभुक के गर्भावस्था एवं Stage का निर्धारण उसके MCP कार्ड में अंकित LMP के आधार पर किया जायेगा।

ऐसी गर्भवती/धातृ महिला जो अन्य योजना/सरकारी प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ ले चुकी है एवं ऐसी महिला जो केन्द्र/राज्य सरकार की नियमित सेवक है तथा जो पी.एस.यू. सेवक है, उनको इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

योजना की अन्य शर्तें पूरा करने वाली गर्भवती/धातृ आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

सभी योग्य लाभुकों को इस योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाना है।

यदि किसी गर्भवती महिला को इस योजना के अंतर्गत लाभ का प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद Miscarriage होता है, तो भविष्य में गर्भवती होने एवं अन्य शर्तें पूरा करने पर उसे द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान किया जा सकता है।

यदि किसी गर्भवती महिला को इस योजना के अंतर्गत लाभ की प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त प्राप्त करने के बाद Miscarriage/Still Birth होता है, तो भविष्य में गर्भवती होने एवं अन्य शर्तें पूरी करने पर उसे तृतीय किस्त का भुगतान किया जा सकता है।

यदि किसी गर्भवती/धातृ महिला को इस योजना के अंतर्गत सभी तीन किस्त के लाभ की राशि प्राप्त करने के बाद उसके शिशु की मृत्यु (Infant Mortality) होती है, तो भविष्य में गर्भवती होने पर इस योजना के अंतर्गत उक्त महिला को कोई लाभ देय नहीं होगा।

दिनांक 01.01.2017 या उसके बाद की तिथि से गर्भवती महिला को यदि पूर्व में मातृत्व लाभ योजना से प्रथम किस्त के रूप में रू. 3,000 का भुगतान किया जा चुका है तो PMMVY के अंतर्गत उक्त महिला को तीसरी किस्त रू. 2,000 तथा संस्थागत प्रसव होने एवं अन्य शर्तें पूरी होने पर पूर्व से संचालित जननी सुरक्षा योजना से प्रोत्साहन राशि देय होगी।

लाभार्थी का पंजीकरण एवं लाभ की राशि का दावा

सभी इच्छुक एवं योग्य लाभार्थियों का आँगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण एवं प्रथम किस्त का दावा हेतु मोबाईल सं., आधार सं., बैंक खाता आदि विवरणी के साथ लाभार्थी एवं लाभार्थी के पति द्वारा हस्ताक्षरित विहित प्रपत्र–I 'A' भरकर अपने पोषक क्षेत्र के आँगनबाड़ी केन्द्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। द्वितीय एवं तृतीय किस्त हेतु योग्य लाभुक का Form 1-B, 1-C सेविका अपने स्तर से भर कर दे सकती है।

उपर्युक्त विहित प्रपत्र–I 'A' की प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र अथवा आई.सी.डी.एस. बिहार के वेबसाईट से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। भरे हुये प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जायः

i. MCP Card

ii. लाभार्थी एवं उसके पति का आधार कार्ड या आधार पंजीकरण नहीं होने पर पंजीकरण के अवधि तक के लिए अन्य कोई प्राधिकृत पहचान–पत्र।

iii. लाभुक का बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता विवरणी।

लाभार्थी का आधार कार्ड एवं पोस्ट ऑफिस / बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में सेविका / आशा / ए.एन. एम. उनका खाता खुलवाने एवं आधार कार्ड बनवाने में सहयोग करेंगे।

अन्य शर्तें पूरी होने पर द्वितीय किस्त के लिए संलग्न विहित प्रपत्र – I 'B' एवं तृतीय किस्त के लिए संलग्न विहित प्रपत्र I 'C' लाभुक द्वारा पूर्ण रूप से भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किया जाय।

भारत सरकार के पत्र सं. 13.07.2017–MBP, दिनांक 09.08.2017 द्वारा मातृत्व लाभ योजना (MBP) को ही नवनामित किया गया है, को दिनांक 01.01.2017 से बिहार के सभी जिलों में लागू करने, राज्य स्तर एवं 38 जिला स्तर पर सेल का गठन करने (जिसमें पद अनुबंध आधारित होगा) का निदेश है।

३. किशोरी बालिकाओं के लिए योजना– (SAG)

किशोरियों के सर्वांगीण विकास, कुपोषण की पीढ़ीगत कुचक्र को तोड़ने एवं जीवन चक्र की रणनीति को स्वस्थ्य बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना 'सबला' बिहार राज्य में वर्ष 2011 से 12 जिलों में लागू है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इसका नाम बदलकर किशोरी बालिकाओं के लिए योजना– SAG कर दिया गया एवं इसे केवल 11–14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों के लिए सीमित करते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में लागू किया गया है।

योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को सहयोग प्रदान कर स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करना है ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक बन सके। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है :–

- किशोरियों को आत्मविकास एवं सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण शिक्षा के द्वारा उन्हें जागरूक बनाना।
- विद्यालय से बाहर के किशोरियों को औपचारिक शिक्षा तंत्र में पुनः वापस लाना अथवा वैकल्पिक शिक्षा / कौशल विकसित करना।
- इनकी गृह आधारित कौशल और जीवन कौशल का विकास करना।
- उपलब्ध लोक सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि से संबंधित जानकारी / मार्गदर्शन देना।

इस योजना का क्रियान्वयन समेकित बाल विकास परियोजना (आई.सी.डी.एस.) की आँगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से किया जाना है। इसके अन्तर्गत लाभुकों (11–14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिका) को पोषण एवं गैर पोषण मद अन्तर्गत निम्न सेवाएँ प्रदान की जाती है:

पोषण मद :– पोषण मद अन्तर्गत 11–14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को टी.एच. आर. के रूप में चावल, अण्डा एवं सोयाबड़ी उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु रू. 9.50 प्रति दिन प्रति लाभार्थी की दर से 600 कैलोरी एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन युक्त पोषक सामग्री माह में 25 दिनों के लिए दी जाती है।

गैर पोषण मद :– आयरन फोलिक एसिड, संपूर्ण स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, विद्यालय से बाहर की किशोरियों को औपचारिक शिक्षा तंत्र में पुनः वापस लाना या वैकल्पिक शिक्षा / कौशल विकसित करते हुए मुख्यधारा में लाना, जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन, लोक सेवाओं को प्राप्त करने का परामर्श / मार्गदर्शन।

मुख्यमंत्री
बाल संरक्षण
छत्र योजना

मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना

1. उद्देश्यः

इस छत्र योजना का उद्देश्य अनिवार्य सेवाओं यथा आपातकालीन पहुँच, संस्थागत देखभाल, परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श एवं समर्थन सेवाओं को राज्य एवं जिला स्तरों पर स्थापित करना तथा बाल अधिकार एवं संरक्षण विषय पर आमजनों को जागरूक करना तथा सभी मौजूदा बाल संरक्षण सेवाओं, योजनाओं और हर स्तर की संरचनाओं की जानकारी देना तथा अनाथ, बेसहारा, दु:साध्य रोगों से पीड़ित बच्चों तथा इन दु:साध्य रोगों से पीड़ित माता–पिता के बच्चों के पालन पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए एम.आई.एस. और बाल ट्रैकिंग प्रणाली सहित बाल संरक्षण आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली की प्रक्रिया का सृजन करना तथा कार्य करने के सभी स्तरों पर प्रशासकों तथा सेवा प्रदाताओं सहित पदाधिकारियों, जिनमें स्थानीय निकायों, पुलिस, न्यायपालिका और अन्य को आई.सी.पी.एस. के तहत दायित्व लेने के लिए प्रशिक्षण देकर क्षमताएँ बढ़ाना है।

2. छत्र–योजना का विवरण :

इस छत्र–योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी:

2.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

(i) **राज्य बाल संरक्षण समिति एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण :** इस योजना के अन्तर्गत सभी घटकों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जायेगा एवं दत्तक ग्रहण सहित सभी गैर सांस्थानिक देखभाल से संबंधित सभी योजना घटकों की स्थापना, संचालन तथा अनुश्रवण राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(ii) **जिला बाल संरक्षण इकाई तथा अनुश्रवण एवं निगरानी समितियाँ :** जिला स्तर पर इस छत्र योजना के अन्तर्गत सभी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करेगी एवं जिलों में जिला परिषद की अध्यक्षता तथा जिला पदाधिकारी की सह अध्यक्षता में योजना के अनुश्रवण हेतु

जिला बाल संरक्षण कमिटी तथा सभी प्रखण्ड, ग्राम पंचायत एवं वार्ड में भी बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर निषेधात्मक कार्रवाई करने हेतु बाल संरक्षण समितियाँ गठित की जायेगी।

(iii) **बाल देखरेख संस्थान का संचालन:** किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (18 से कम आयु वर्ग) हेतु जिलों में बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एवं खुला आश्रय का संचालन किया जायेगा एवं विधि विवादित बच्चों हेतु पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित संस्थान का संचालन किया जायेगा।

(iv) **गैर सांस्थानिक कार्यक्रम:** दत्तक ग्रहण, क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेन्टर, प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखभाल तथा उत्तर रक्षा कार्यक्रम का संचालन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

(v) किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं चाईल्ड लाइन कार्यरत है। सभी जिलों में विधि विवादित बच्चों के मामलों में संज्ञान लेने हेतु किशोर न्याय परिषद तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने, हिंसा, दुर्व्यवहार आदि से बचाने तथा बच्चों से संबंधित मामलों में जाँच करने के लिए सभी जिलों में विशेष किशोर पुलिस का गठन किया जायेगा एवं विषम परिस्थिति में पाये जाने वाले बच्चों की सहायता हेतु आपातकालीन सेवा चाईल्ड लाइन (टॉल फ्री नं. 1098) संचालित की जायेगी।

2.2 परवरिश योजना

अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दु:साध्य रोग से पीड़ित (एच.आई.वी./एड्स एवं कुष्ठ) बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यांगता के शिकार माता–पिता के संतान के बेहतर पालन–पोषण हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जायेगा।

3. निधि का संवितरण

निधि का संवितरण निम्नवत किया जायेगा:

3.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई, सरकार द्वारा संचालित पर्यवेक्षण/विशेष/बाल गृह/सुरक्षित स्थान का संधारण एवं पर्यवेक्षण/बाल गृह का निर्माण मद में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60:40 प्रतिशत एवं किशोर न्याय परिषद्/बाल कल्याण समिति मद में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 35:65 प्रतिशत तथा स्वयंसेवी संस्थान द्वारा संचालित बाल गृह/दत्तक ग्रहण संस्थान/खुला आश्रयों के संधारण मद में केन्द्रांश, राज्यांश एवं स्वयंसेवी संस्थान का अंशदान 60:30:10 प्रतिशत होगा।

3.2 परवरिश योजना

इस योजना अंतर्गत आच्छादित बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से राशि हस्तांतरित किया जायेगा। संपूर्ण राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।

4. देय राशि

देय राशि का भुगतान निम्नवत किया जायेगा :

4.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

(i) इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले/अनाथ/

अभ्यर्पित/परित्यक्ता बच्चों को बाल गृह/खुला आश्रय एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (0–6 वर्ष) में आवासित एवं विधि विवादित बच्चे को पर्यवेक्षण गृह में आवासित किया जाता है, जहाँ बच्चों के अनुरक्षण मद में रू. 2,000 प्रतिमाह की दर से व्यय किया जायेगा तथा प्रयोजन एवं पालन पोषण देखभाल तथा उत्तर रक्षा कार्यक्रम अंतर्गत आच्छादित लाभान्वितों हेतु रू. 2,000 प्रतिमाह की दर से राशि दी जाती है। उक्त मदों में केन्द्र सरकार के द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित दर लागू होगा।

(ii) इसके अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के आलोक में किशोर न्याय परिषद् अथवा बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार विभिन्न सेवाओं का लाभ दिया जायेगा।

4.2 परवरिश

इस योजना अंतर्गत आच्छादित बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में 0–18 वर्ष के बच्चों हेतु रू. 1,000 प्रतिमाह की दर से राशि दी जाती है।

5. पात्रता

इस छत्र–योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होगी :

5.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले/अनाथ/अभ्यर्पित/परित्यक्त बच्चे एवं विधि विवादित बच्चे। इस योजना के तहत कार्यरत गैर सरकारी संस्थान की न्यूनतम अर्हता समय–समय पर आमंत्रित निविदा की शर्तों के अनुरूप होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। साथ ही नियोक्ता और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा एवं विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी।

5.2 परवरिश योजना

0–18 वर्ष आयु वर्ग के निम्न श्रेणी के बच्चों के लिए इस योजना का लाभ एक वर्ष के लिए देय होगा परन्तु बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक इसका प्रत्येक वर्ष स्वतः नवीकरण हो सकेगा बशर्ते कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त न होः

(i) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हों, जिनकी वार्षिक आय रू. 60,000 से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।

(ii) वैसे बच्चे भी अनाथ एवं बेसहारा बच्चे माने जायेंगे जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण से अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे के परवरिश करने में असमर्थ हो गए हों परन्तु ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(iii) एच.आई.वी.(+)/एड्स या Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोग से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

6. प्रक्रिया

इस छत्र–योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगीः

6.1 आवेदन की प्रक्रिया :

(i) समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत विहित प्रपत्र में आवेदक स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संबंधित बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार आवेदन दे सकते हैं।

(ii) परवरिश योजना के तहत विहित प्रपत्र में आवेदन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय, आँगनबाड़ी केन्द्रों में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार दे सकते हैं। आँगनबाड़ी सेविका, आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जाँच कर अपने मंतव्य के साथ बाल विकास परियोजना के कार्यालय में जमा करेंगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवेदन–पत्र एक सप्ताह के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृत्यादेश प्राप्ति हेतु अग्रसारित करेंगे जो अपनी स्वीकृत्यादेश के साथ सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करेंगे।

(iii) परवरिश योजनान्तर्गत नवीकरण की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में अनुदान की अवधि समाप्ति के कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी।

6.2 धनराशि वितरण की प्रक्रिया

(i) इस छत्र–योजना अंतर्गत एक ही बैंक में योजनावार पृथक बैंक खाता हो सकेगा परन्तु सभी खातों के लिए बैंक में एक common customer-id होगा जिससे इस छत्र–योजनाधीन सभी बैंक खाता संबद्ध (linked) होंगे।

(ii) योजनावार बैंक खाता (Parent Account) का संचालन राज्य बाल संरक्षण समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य संस्थान / कार्यालय / निदेशालय के माध्यम से किया जायेगा।

(iii) धनराशि का वितरण Parent-Child Account पद्धति के अनुसार जिला कार्यालय द्वारा अपने Child Account से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया

जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न इकाईयों से योजना अन्तर्गत व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त कर समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से विभागीय अनुमोदनोपरांत महालेखाकार को समायोजन के लिए भेजा जायेगा।

6.4 अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस छत्र योजना के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण कमिटी की त्रैमासिक बैठक तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम घटकों के संचालन के प्रगति की समीक्षा की जाती है। साथ ही वार्षिक कार्ययोजना एवं मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा समेकित एम.आई.एस. पर मासिक प्रतिवेदन के आधार पर अनुश्रवण की जाती है।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अंदर समाधान प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिकायत जिला

बाल संरक्षण इकाई में दर्ज की जा सकती है। जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से शिकायत का निपटारा नहीं होने की स्थिति में परियोजना निदेशक, राज्य बाल संरक्षण समिति, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

अधिसूचना संख्याः 03/यो.–03/2019/5721 पटना, दिनांक : 27/11/2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अन्य तथ्यः

1. परवरिश योजना

1.1 **उद्देश्यः** यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण के गैर–सांस्थानिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दु:साध्य रोग से पीड़ित/एच.आई.वी./एड्स एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यांगता के शिकार माता–पिता के संतान के बेहतर पालन–पोषण एवं उनके गैर–सांस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है।

1.2 **लक्षित समूह एवं पात्रता/अर्हताः** 0–18 वर्ष आयु वर्ग के निम्न श्रेणी के बच्चे इस योजना के लाभ के पात्र होंगेः

(i) (क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा (ख) अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं, जिनकी वार्षिक आय रू. 60,000 से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।

(ii) वैसे बच्चे भी अनाथ एवं बेसहारा माने जायेंगे, जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण, अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे की परवरिश करने में असमर्थ हों परन्तु ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(iii) एच.आई.वी.(+)/एड्स/Visible deformities grade-II के कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोगों से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

1.3 **अनुदान की राशिः** इस योजना के अन्तर्गत चयनित बच्चों को पालन–पोषण हेतु अनुदान राशि रू. 1,000 प्रतिमाह देय होगा। योजना का लाभ प्रतिमाह लाभुकों एवं अभिभावक के नाम से खोले गये संयुक्त बचत खाता में सीधे हस्तनांतरित किया जाएगा।

1.4 **योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकः**

I- अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे की स्थिति में बच्चे के पालक परिवार का मुख्य व्यक्ति।

II- स्वयं एच.आई.वी.(+)/ एड्स/ कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे एवं एच.आई.वी.(+)/ एड्स पीड़ित माता/पिता अथवा कुष्ठ रोग grade-II से पीड़ित माता/पिता की स्थिति में बच्चे के माता या पिता।

1.5 **लाभुकों के चयन की प्रक्रियाः**

I- इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन–पत्र सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय/समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय/आँगनबाड़ी केन्द्रों से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आवेदन–पत्र समाज कल्याण विभाग के वेबसाइटः www.socialwelfare.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

II- आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र भरकर एवं आवश्यक कागजात संलग्न कर संबंधित क्षेत्र की आँगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध करायेंगे। एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित बच्चे एवं एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित माता/पिता के मामले में आवेदक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में आवश्यक कागजात संलग्न कर समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय में जमा करेंगे। इसकी जाँच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को स्वयं करनी है। इस मामले में आँगनबाड़ी सेविका का मंतव्य आवश्यक नही है। आवेदन–पत्र की प्राप्ति रसीद आँगनबाड़ी सेविका/बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

III- आँगनबाड़ी सेविका, आवेदक द्वारा आवेदन देने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर जाँचोपरांत अपने मंतव्य के साथ कि ''प्राप्त आवेदन में अंकित सूचनाएँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं जाँच के अनुरूप सही है/नहीं है तथा आवेदक परवरिश योजना का लाभ पाने की अर्हता रखता है/नहीं रखता है'', बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेगी। आँगनबाड़ी सेविकाओं को इस कार्य हेतु 50 (पचास) रूपये प्रति लाभुक की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा, जो कि 1 (एक) प्रतिशत प्रशासनिक मद में सम्मिलित होगा।

IV- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवेदन–पत्र एक सप्ताह के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृत्यादेश प्राप्ति हेतु अग्रसारित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश प्रपत्र–II (आवेदन–पत्र सहित) का अग्रसारण सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को करेंगे।

1.6 **भुगतान की प्रक्रिया :** स्वीकृति आदेश के आलोक में सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से लाभुकों के खाता विवरणी प्राप्त कर, लाभार्थी एवं अभिभावक के संयुक्त खाते में राशि का अंतरण सुनिश्चित करेंगे।

1.7 **योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :** इस योजना का अनुश्रवण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण–सह–उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम घटकों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

1.8 **अनुदान का नवीकरण :** इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आरंभिक अनुदान स्वीकृति मात्र 12 माह के लिए होगी, परन्तु बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक इसका प्रत्येक वर्ष स्वतः नवीकरण हो सकेगा, बशर्ते की कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त न हो।

1.9 **आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेज :**

I- बी.पी.एल. की प्रकाशित सूची के संगत अंश की छायाप्रति। यदि आवेदक का बी.पी.एल. सूची में नाम ना हो तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (जिन मामलों में बी.पी.एल. या आयु सीमा आवश्यक न हो को छोड़कर)।

II- अनाथ बच्चे की स्थिति में माता एवं पिता का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र (यदि माता या पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र न हो तो संबंधित पंचायत का मुखिया एवं शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित वार्डों के वार्ड पार्षद द्वारा इस आशय का निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

III- लाभुक का जन्म प्रमाण–पत्र। यदि बच्चा पूर्व से ही विद्यालय में नामांकित हैं तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

IV- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता–पिता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत grade-II का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

V- एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित बच्चे एवं एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित माता/पिता की स्थिति में ए. आर. टी. रिकॉर्ड कार्ड मान्य होगा।

VI- यदि पूर्व से राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाताधारक हैं तो बैंक पासबुक की छायाप्रति।

VII- अनाथ एवं बेसहारा बच्चे की स्थिति में सक्षम प्राधिकार (बाल कल्याण समिति) द्वारा जारी आदेश/ प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

2. समेकित बाल संरक्षण योजना

बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के लिए राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वयन कर किया जा रहा है। योजना लागू करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिनांक–23.04.2010 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम घटकों का संचालन किया जा रहा है। किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति के संचालन में होने वाले व्यय में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 35 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अवयवों में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थानों में केन्द्र, राज्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है।

समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत यदि कोई बालक/बालिका (उम्र 0–18 वर्ष) कहीं किसी व्यक्ति को मिलता है, जिसे तत्कालिक सहायता/सुरक्षा की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में चाईल्ड लाइन के निःशुल्क नं.–1098 पर कॉल किया जा सकता है। यह नं.–1098 24x7 उपलब्ध है। इस नंबर पर सूचना देने के उपरांत तुरन्त ही सहायता पहुँचती है तथा बच्चे को तत्काल बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित करते हुए उसकी आयु के अनुसार संबंधित गृह में पहुँचा दिया जाता है। साथ ही बच्चे के परिवार में पुनर्वसन हेतु बच्चों की कॉउन्सेलिंग तथा परिवार की खोज के लिए अन्य प्रक्रिया आरंभ हो जाती है।

साथ ही कोई भी व्यक्ति, पुलिस अथवा बच्चा स्वयं भी समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत संचालित बाल/बालिका गृह में गुमशुदा, परिवार विहीन बच्चों को गृह में पहुँचा सकता है अथवा प्रत्येक जिलों में गठित बाल कल्याण समिति में पहुँचा सकता है। बच्चे को उम्र के अनुसार निम्न गृहों में पहुँचाया जा सकता है–

0–6 जिलों में संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान

6–18 बालक, जिलों में संचालित बाल गृह (बालक)

6–18 बालिका, जिलों में संचालित बालिका गृह (बालिका)

इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला में जिला बाल संरक्षण इकाई गठित है। किसी भी तरह के सहयोग हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी/ कर्मियों से संपर्क किया जा सकता है।

राज्य बाल संरक्षण समिति (एस.सी.पी.सी.)

समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत राज्य बाल संरक्षण समिति (निबंधन संख्या–2143 एवं वर्ष–2011–12) की स्थापना की गयी है। समिति के पदेन अध्यक्ष, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, पदेन उपाध्यक्ष, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं परियोजना निदेशक, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय हैं।

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एस.ए.आ.ए.)

आई.सी.पी.एस. योजना अंतर्गत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण कार्यरत है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे जो अपने माता–पिता/वैधिक अभिभावक से पूर्ण रूप से अलग हो चुके हों, को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनः परिवार में एकीकृत कराना है एवं दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति को प्रशासकीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) एवं राज्य सरकार के बीच समन्वयन स्थापित करती है एवं राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थानों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 166 बच्चों का दत्तक ग्रहण सम्पन्न हो चुका है, जिनमें लड़के–51 एवं लड़कियाँ–115 हैं। दत्तक ग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया www-cara-nic-in पर ऑनलाइन पूर्ण की जाती है।

जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.)

जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं कार्यरत इकाईयों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यरत है एवं इसके नोडल पदाधिकारी सहायक निदेशक, बाल संरक्षण हैं, जिनकी स्थायी नियुक्ति की जा चुकी है। जिला बाल संरक्षण इकाई में संस्थागत एवं गैर–संस्थागत कार्यक्रमों के लिए 2 बाल संरक्षण पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति की गयी है। जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है। इसके क्रियान्वयन में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है।

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संस्थान

बाल गृह (Children's Home):

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–50 के आलोक में 06 से 18 वर्ष आयु समूह के निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (पारिवारिक पुनर्मिलन, दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए सरकार द्वारा पटना में दो (बाल गृह, अपना घर एवं बालिका गृह, निशांत) एवं बेगूसराय जिले में एक (बाल गृह, बसेरा) अर्थात् कुल तीन बाल गृहों का संचालन पूर्व से किया जा रहा है। विशेष आवश्यकता वाले 10 बच्चों के आवासन क्षमता वाले दो–दो विशेष इकाई का संचालन पटना में संचालित बाल एवं बालिका गृह में किया जा रहा है एवं एक विशेष इकाई का संचालन बाल गृह, बेगूसराय में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में बाल/बालिका गृहों का संचालन किया जा रहा है।

खुला आश्रय (Open Shelter):

शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों विशेषतया भीख मांगते बच्चे, सड़क पर रहने वाले अथवा कामकाजी बच्चे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, छोटे विक्रेताओं, घूम–घूमकर तमाशा दिखाने वाले बच्चे, अनाथ बच्चे, परित्यक्त बच्चे, भागे हुए बच्चे तथा किसी अन्य संवेदी समूह के बच्चे को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य में प्रमण्डल स्तर पर 24x7 चलने वाले खुला आश्रय का संचालन विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (Specialized Adoption Agency):

दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं 06 वर्ष की आयु से नीचे अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों को आवासन हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का संचालन समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित बच्चों एवं दत्तक ग्रहण माता–पिता से संबंधित आँकड़े का संधारण CARINGS प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

विधि विवादित बच्चों हेतु संस्थानः

पर्यवेक्षण गृह (Observation Home):

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 47 के आलोक में वर्तमान में राज्य के 14 जिलों में विधि विवादित किशोरों के मामले की सुनवाई तक आवासित करने हेतु पर्यवेक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है।

विशेष गृह (Special Home):

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 48 के आलोक में विधि विवादित किशोरों का दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु उन्हें विशेष गृह में रखने का प्रावधान है। इस आलोक में राज्य में एक विशेष गृह का संचालन (पटना जिला में) किया जा रहा है।

सुरक्षित स्थान (Place of Safety)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 49 के आलोक में सुरक्षित स्थान की स्थापना किये जाने का प्रावधान है। यहाँ वैसे विधि विवादित किशोरों को आवासित किया जाता है जिनकी आयु 16 वर्ष हो गई है तथा उनके द्वारा किया गया अपराध इतना गंभीर है कि बोर्ड को यह विश्वास है कि उस किशोर को विशेष गृह या पर्यवेक्षण गृह में रखा जाना न तो स्वयं उसके और न ही उस गृह में रहने वाले अन्य किशोरों के हित में है। वर्तमान में शेखपुरा जिला में सुरक्षित स्थान गृह संचालित है।

वैधानिक निकायों का गठन एवं संचालन :

किशोर न्याय परिषद् (जे.जे.बी.):

जिला स्तर पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के आलोक में प्रत्येक जिला में एक किशोर न्याय परिषद् गठित है। इसके प्रधान सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी होते हैं एवं 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

बाल कल्याण समिति (सी.डब्लू.सी.):

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के आलोक में राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति गठित है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं।

अन्य सेवाएँ एवं कार्यक्रमः

चाईल्ड लाईन (1098) सेवा :

चाईल्ड लाईन देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 24x7 आपातकालीन दूरभाष (डायल 1098) पहुँच सेवा है, जो उन्हें आपातकालीन एवं दीर्घ अवधि, देखरेख एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। वर्तमान में राज्य के 22 जिलों में चाईल्ड लाईन की सेवा संचालित है। चाईल्ड लाईन के संचालन हेतु संचालक संस्था को 100 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम :

गुमशुदा एवं बरामद बच्चों को उनके परिवार से मिलाने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से एक वेब पोर्टल (trackthemissingchild.gov.in) विकसित की गई है, जिसपर संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि CCIs, CWC एवं JJB के द्वारा वर्ष 2014–15 से की जा रही है।

एम.आई.एस. सिस्टम :

समेकित बाल संरक्षण योजना के अधीन राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत वर्तमान में किशोर न्याय परिषद्, बाल कल्याण समिति, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह, खुला आश्रय एवं विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान से संबंधित मासिक एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन हेतु एम.आई.एस. सिस्टम विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतिवेदन माह अप्रैल, 2016 से ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

बाल संरक्षण समिति :

बाल संरक्षण समिति की परिकल्पना बाल संरक्षण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली समस्याओं पर विचार करने एवं उनका स्थानीय समाधान तलाशने हेतु एक महत्वपूर्ण ईकाई के रूप में की गई है। यह समिति बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में कानूनी प्रावधानों एवं योजनाओं को बनाने, उस पर विचार करने एवं कार्यान्वित करने वाली निकाय है। बाल संरक्षण समिति दिशा निर्देश का अनावरण वर्ष 2015–16 में किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण समिति, प्रखंडों, पंचायतों/वार्डों में बाल संरक्षण समिति का गठन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री
महिला सशक्तिकरण
छत्र योजना

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना

1. उद्देश्य

इस छत्र–योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करना है। महिलाओं एवं उनके संस्थाओं को व्यावसायिक विषयों पर प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना, प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न सेवाओं में नियोजन एवं स्वनियोजन योग्य बनाना, उत्पादक गतिविधियों में प्रोत्साहन करना है। महिला प्रक्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना तथा जेण्डर से संबंधित आँकडों का संग्रह, विश्लेषण तथा प्रचार–प्रसार करना, जेण्डर संवेदीकरण, जेण्डर बजटिंग आदि में तकनीकी सहयोग प्रदान करना, राज्य में महिलाओं के अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु प्रयास करना तथा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है।

2. छत्र–योजना विवरणी

इस छत्र–योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी:

2.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :

इसके अन्तर्गत बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी अभियान, बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति, 2015 तथा उत्तर रक्षा गृह समाहित होंगे। इसके तहत महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण तथा आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी कार्य समेकित हैं। साथ ही महिलाओं से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, संग्रहण, प्रकाशन तथा प्रसारण, अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र / जेण्डर रिर्सोस सेन्टर संचालित है।

2.2 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है।

2.3 नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन :

इसके अन्तर्गत वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह, उज्ज्वला, स्टेप (Support to training and employment programme for women), महिला शक्ति केन्द्र तथा 24x7 महिला हेल्पलाईन 181 समाहित होंगे। इसके तहत भारत सरकार द्वारा संचालित महिलाओं से संबंधित योजनाओं यथा वन स्टॉप सेन्टर, महिला हेल्पलाईन 181, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, पूर्ण शक्ति केन्द्र आदि को तकनीकी सहयोग प्रदान करना है।

3. निधि का संवितरण

इस छत्र योजना के तहत स्वाधार गृह, महिला शक्ति केन्द्र तथा एन.एम.ई.डब्ल्यु. अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। वन स्टॉप सेन्टर एवं महिला हेल्पलाईन के लिये राशि का प्रावधान शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा तथा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। स्टेप योजना अन्तर्गत ग्राण्ट की राशि कार्यरत स्वयंसेवी संस्था को सीधे केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी। उज्ज्वला योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्था के बीच निधि का संवितरण 60:30:10 के अनुपात में होगा।

4. देय राशि/सेवायें

इस छत्र योजना अन्तर्गत देय राशि/सेवाएँ निम्नवत प्रदान की जायेगी:

4.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

इसके तहत महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिला हेल्पलाईन, अल्पावास गृह, रक्षा गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, शिशु पालना गृह; सांस्कृतिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिला सांस्कृतिक मेलों का आयोजन तथा स्वयं सहायता समूह को नवाचारी कार्यों के लिए पुरस्कार की योजना तथा आर्थिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिलाओं को सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन योग्य व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रशिक्षण तथा नियोजन अथवा स्वरोजगार से जुड़ाव; सेवा प्रक्षेत्र के लिए प्रशिक्षण एवं कार्य अनुसंधान तथा उनके विकास एवं सशक्तिकरण के संबंध में नये विचार हेतु नवाचारी योजना को प्रोत्साहित करना है।

4.2 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

इस योजना अन्तर्गत कन्या के विवाह के समय रू. 5,000 का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जायेगा।

4.3 नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन

भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और सेवाओं से संबंधित सूचना एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। साथ ही हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय, विधिक, परामर्शी एवं अस्थायी आश्रय हेतु वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह तथा महिला हिंसा की स्थिति में त्वरित सहयोग करने तथा महिलाओं से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24x7 महिला हेल्पलाईन 181 कार्यरत है। महिला शक्ति केन्द्र के अन्तर्गत कौशल विकास, रोजगार, डिजीटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। उज्ज्वला योजना के तहत पीड़ित/संभावित पीड़ित महिलाएँ/बच्चों का बचाव एवं पुनर्वास किया जाता है। स्टेप योजना अन्तर्गत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा। स्वाधार गृह योजना अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ एक वर्ष तक रह सकती हैं। अन्य श्रेणी की महिलाएँ अधिकतम तीन वर्ष तथा 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला को अधिकतम 5 वर्ष तक रखा जा सकता है, तत्पश्चात इन्हें वृद्धाश्रम या समतुल्य संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

5. पात्रता

इस छत्र योजना के अन्तर्गत देय सेवाओं के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्था की न्यूनतम अर्हता समय–समय पर आमंत्रित निविदा की शर्तों के अनुरूप होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। नियोक्ता और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा, साथ ही विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी।

विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होंगी :

5.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत किशोरियाँ एवं महिलाएँ पात्र होंगी।

5.2 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय रू. 60,000 से कम हो, की 18 वर्ष से अन्यून विवाहित कन्याएँ होंगी जिनका विवाह निबंधन हो चुका हो।

5.3 नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन अंतर्गत वैसी सभी महिलाएँ पात्र होंगी, जो घरेलु हिंसा, मानव पणन, प्राकृतिक आपदा के पश्चात बेघर हुई, जेल से रिहा की गयी महिलाएँ जिनका कोई परिवार न हो, महिलाओं के अवैध व्यापार/वेश्यालयों से छुड़ाई गयी हो या पीड़ित होने की सम्भावना हो या बचकर भागी हुई बालिका, एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित सामाजिक या आर्थिक सहायता विहीन महिलाएँ तथा किसी प्रकार की हिंसा आदि से पीड़ित एवं प्रताड़ित हो। महिला शक्ति केन्द्र योजनान्तर्गत कोई भी महिला इसकी पात्र होगी तथा स्टेप योजना अन्तर्गत 16 वर्ष से अधिक की महिलाएँ पात्र होंगी।

6. प्रक्रिया

6.1 आवेदन की प्रक्रिया :

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस. काउंटर पर जमा करेंगे तथा इसकी स्वीकृति जांचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी पीड़ित महिला स्वयं एवं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वन स्टॉप सेन्टर/स्वाधार गृह/महिला हेल्पलाईन/उत्तर रक्षा गृह तथा अन्य संचालित संस्थाओं में जाकर अपना निबंधन कराकर सेवा का लाभ ले सकती हैं।

6.2 धनराशि वितरण की प्रक्रिया :

योजनावार वितरण की प्रक्रिया निम्नवत हैः

(i) **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :** इस योजना अन्तर्गत संचालित अल्पावास गृह, रक्षा गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, पालना गृह एवं अन्य कार्यरत संस्थाओं के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुबंध की शर्तों के तहत राशि निर्गत की जाती है।

(ii) **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :** इस योजना अन्तर्गत धनराशि का वितरण राज्य स्तर से सक्षम डी.बी.टी. सेल के द्वारा विकसित किया गया ई–सुविधा पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभुक के बैंक खाता में किया जायेगा।

(iii) **नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन:** इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा समाज कल्याण निदेशालय/आई.सी.डी.एस. के माध्यम से राशि महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना अन्तर्गत संचालित वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह, महिला हेल्पलाईन 181 आदि योजनाओं के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुबंध की शर्तों की तहत राशि निर्गत की जाती है।

(iv) इस छत्र योजना अन्तर्गत एक ही बैंक में योजनावार पृथक खाता हो सकेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में खोला जा सकेगा। धन राशि का वितरण Parent Child Account पद्धति के अनुसार Child Account से सीधे लाभार्थी के खाते में किया जायेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विभिन्न संस्थाओं/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के द्वारा महालेखाकार को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत उपयोगिता प्रमाण–पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जायेगा।

6.4 अनुश्रवण की प्रक्रिया

जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक/जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम/विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सभी योजनाओं के लिए समेकित एम.आई.एस. प्रणाली के अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय–समय पर संघात मूल्यांकन तथा निगम के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय–सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस छत्र योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

अधिसूचना संख्याः– 03/यो0–30/2017/28, पटना, दिनांकः 02/01/2019

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्य तथ्य:

1. महिला विकास निगम, बिहार

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु महिला विकास निगम, बिहार का गठन किया गया है, जिसका निबंधन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत 28 नवम्बर, 1991 को किया गया है। निगम समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसका सम्पूर्ण प्रबंधन सरकार द्वारा अधिसूचित निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव होते हैं तथा प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम के सदस्य सचिव होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की सुपर टाइम स्केल की वरीय महिला पदाधिकारी को ही निगम की प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाता है।

2. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना राज्य के अंतर्गत महिलाओं एवं किशोरियों की स्थिति में सुधार लाने हेतु पूर्व से चली आ रही योजनाओं जिनके स्वरूप, दर आदि में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया गया है बल्कि मात्र योजना मद से राशि की निकासी की प्रक्रिया को अन्य योजनाओं के सदृश्य पेरेंट चाइल्ड अकाउंट से किया जाना है। इस छत्र योजना में पूर्व से संचालित योजनाएँ यथावत रहेंगी। योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु योजना के प्रशासी विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अनुदेश निर्गत किया जाएगा।

3. उद्देश्य

इस छत्र योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करना है। महिलाओं एवं उनके संस्थाओं को व्यावसायिक विषयों पर प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना, प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न सेवाओं में नियोजन एवं स्वनियोजन योग्य बनाना, उत्पादक गतिविधियों में प्रोत्साहन करना है। महिला प्रक्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना तथा जेंडर से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण तथा प्रचार–प्रसार करना, जेंडर संवेदीकरण, जेंडर बजटिंग आदि में तकनीकी सहयोग प्रदान करना, राज्य में महिलाओं के अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु प्रयास करना तथा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के अंतर्गत महिला विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण:

4. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना:

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.11.2007 को महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण हेतु एक समेकित योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई जिसे मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के महत्वपूर्ण तीन घटक हैं:–

(क) सामाजिक सशक्तिकरण

(i) **महिला हेल्पलाईन :** जिला पदाधिकारी के नियंत्राधीन राज्य के सभी जिलों में भौतिक महिला हेल्पलाईन की स्थापना की गई है। महिला हेल्पलाईन में एक परियोजना प्रबंधक, दो परामर्शी, तीन वकील का पैनल, एक डाटा इंट्री आपरेटर को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

उद्देश्य : समाज की पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को संरक्षण प्रदान करना, परामर्श के द्वारा परिवार टूटने से बचाना आदि।

लाभार्थी/पात्रता : कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा अथवा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित और पीड़ित हो, महिला हेल्पलाईन में उपलब्ध सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि जिला पदाधिकारी को निगम द्वारा भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ / राशि : महिला हेल्पलाईन में परामर्श की सेवाएँ दी जाती हैं। कोई राशि देय नहीं है।

प्रक्रिया : कोई भी पीड़ित महिला या किशोरी किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से या स्वयं महिला हेल्पलाईन जाकर मौखिक या सादे कागज पर आवेदन देकर हेल्पलाईन की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है। इसकी सेवाएँ पूर्णतः निःशुल्क है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र : अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए हेल्पलाईन द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(ii) **अल्पावास गृह :** पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को अल्पकाल तक आवासन के लिए राज्य के सभी जिलों में गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता से पटना में 50 बेड एवं अन्य सभी जिलों में 25 बेड के अल्पावास गृह की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की गई है।

उद्देश्य : उत्पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से अनैतिक मानव पणन प्रतिषेध अधिनियम, 1986 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु अल्पावास गृह की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पीड़ित महिला को अल्पकाल तक निवास की सुविधा एवं पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

लाभार्थी/पात्रता : कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा, मानव पणन अथवा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित और पीड़ित हो अथवा न्यायालय में अपनी पैरवी करने के दौरान अल्पकाल तक आवासन की आवश्यकता हो, अल्पावास गृह की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि अनुबंध की शर्तों के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ/राशि : इसमें अधिकतम छः माह तक आवासन की सुविधा दी जाती है। कोई राशि देय नहीं है।

प्रक्रिया : कोई भी पीड़ित महिला, किशोरी किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से, स्वयं, पुलिस, न्यायालय आदि

के माध्यम से अथवा महिला हेल्पलाईन की अनुशंसा पर अल्पावास गृह की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है। इसकी सेवाएँ पूर्णतः निःशुल्क है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र: गैर सरकारी संस्था द्वारा अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए अल्पावास गृह द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(iii) **रक्षा गृह :** अनैतिक मानव पणन अधिनियम, 1986 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 50 बेड वाले रक्षा गृह की स्थापना राज्य की राजधानी, पटना में की गई है।

उद्देश्य : मानव पणन से पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को प्रशिक्षण के उपरांत आय उत्पादक गतिविधियों से जोड़ कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनका पुनर्वसन करना।

लाभार्थी/पात्रता : कोई भी महिला / किशोरी जो मानव पणन एवं घरेलू हिंसा अथवा यौन हिंसा आदि से पीड़ित हो, रक्षा गृह में उपलब्ध सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

निधि का संवितरण: राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा गैर सरकारी संस्था को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ/राशि : यहाँ पुनर्वास एवं आय उत्पादक प्रशिक्षण की सेवाएँ दी जाती है। कोई राशि देय नहीं है।

प्रक्रिया : मानव पणन, यौन हिंसा अथवा घरेलू हिंसा आदि से पीड़ित महिला या किशोरी किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से या स्वयं महिला हेल्पलाईन जाकर मौखिक या सादे कागज पर आवेदन देकर हेल्पलाईन की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है। रक्षा गृह की सेवाएँ महिला हेल्पलाईन, पुलिस अथवा न्यायालय की अनुशंसा पर प्राप्त की जा सकती है। इसकी सेवाएँ पूर्णतः निःशुल्क है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र: अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए रक्षा गृह द्वारा मासिक प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(iv) **कामकाजी महिला छात्रावास:** सरकारी एवं गैर सरकारी नियोजनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है तथा हो रही है। क्षेत्रीय स्तर पर आवासीय कमी के कारण महिलाओं को उन क्षेत्रों

में अकेले रहने में असुरक्षा महसूस होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रमंडल मुख्यालयों में कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है।

उद्देश्य : कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं किफायती आवासीय सुविधा मुहैया करना।

लाभार्थी/पात्रता : कामकाजी महिलाएँ जो अपने घर परिवार से दूर, किसी कार्यालय में कार्यरत हों, चाहे वे किसी अस्पताल, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी कार्यालय में कार्यरत हों, जो विधवा या परित्यक्ता हों व किसी संस्था में नियोजित हों।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा संचालक संस्था को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ / राशि : कामकाजी महिलाओं को आवासन की सेवाएँ दी जाती है। आवास की सुविधा निःशुल्क किन्तु भोजन हेतु महिला को निर्धारित शुल्क देना होता है।

प्रक्रिया : कोई भी कामकाजी महिला या किशोरी स्वयं आवेदन देकर छात्रावास की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संचालक संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(v) **पालनाघर की स्थापना :** कामकाजी महिलाएँ जिन्हें अपनी कार्यावधि में 5 वर्ष तक अथवा उससे कम उम्र के बच्चे को कार्यस्थल पर रखने में असुविधा होती हो; जिनके परिवार में बच्चे की देखरेख करने वाला उनके सिवाय अन्य कोई नहीं हो; राज्य सरकार ने वैसे बच्चों के लिए राज्य में 100 पालनाघर की स्थापना करने का निर्णय लिया है तथा पालनाघर की प्रति इकाई में 10 बच्चे के लिए स्वादिष्ट एवं पौष्टिक अल्पाहार, अन्य उपकरणों की व्यवस्था रहेगी। खिलौने एवं खेलने के अन्य साधनों के साथ–साथ मनोरंजन का प्रावधान भी किया गया है। शिशु पालनाघर की स्थापना वैसे सरकारी संस्थानों यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में की जाएगी जिस संस्थान में महिलाएँ कार्यरत हों, उनके बच्चे की देखभाल के लिए संस्थान के प्रधान को ही उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। प्रत्येक संस्थान जिसमें 25 या इससे अधिक महिलाएँ नियोजित होंगी, में एक इकाई पालनाघर का संचालन किया जाएगा।

उद्देश्य : सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत महिलाओं को कार्य सम्पादन की सुविधा प्रदान करना।

लाभार्थी/पात्रता : कामकाजी महिलाएँ एवं उनके 05 वर्ष तक के बच्चे जिनकी माता सरकारी संस्थान में कार्यरत हों।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा संचालक संस्था को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ / राशि : 05 वर्ष के वैसे बच्चे जिनकी माता कामकाजी हों, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ्य आवासन एवं खेलने के लिए सुविधाएँ/सेवाएँ देय हैं। राशि संचालक संस्था को निगम द्वारा देय है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा संपोषित है।

प्रक्रिया : सरकारी संस्थान जहाँ 25 महिलाएँ कार्यरत हो, और उनके 05 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों, संस्था प्रधान के माध्यम से पालना घर की सेवा के लिए आवेदन कर सकती हैं।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संचालक संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(vi) **सामाजिक जागरूकता :** ऐसा देखा जाता है कि सामान्यतया महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होती हैं। इसका मूल कारण अशिक्षा है। किन्तु अल्पावधि में अशिक्षा को मिटाना मुश्किल है। राज्य में पूर्व से ही महिलाओं के लिए कई अधिनियम/विधेयक बनाए गए हैं किन्तु महिलाओं की अनभिज्ञता के कारण इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। फलस्वरूप, इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। अपने परिवार एवं समाज में विभिन्न प्रकार का उत्पीड़न उन्हें सहना पड़ता है। महिलाओं के लिए कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नांकित हैं:–

- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
- अनैतिक मानव पणन निवारण अधिनियम, 1986
- दहेज उन्मूलन अधिनियम, 1961
- डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक, 1999
- बालिका शिक्षा अधिनियम
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- भ्रूण हत्या अधिनियम

इसी परिप्रेक्ष्य में दहेज उत्पीड़न, मानव पणन, बाल विवाह, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, कार्यशाला के माध्यम से नारी अधिकार, उपेक्षित वर्ग की महिलाओं को देय सेवायें आदि पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर समाज में महिलाओं को जागरूक करने की दो प्रकार की योजना प्रस्तावित है।

I- **पारिवारिक विद्यालय :** पारिवारिक विद्यालय एक ऐसा केन्द्र होगा जिसके माध्यम से दम्पत्तियों को पारिवारिक सामंजस्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसी चिन्हित मुद्दों पर प्रशिक्षण, परामर्श दिया जाएगा। इसके

लिए 100 सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का चुनाव कर उन्हें पारिवारिक कॉउन्सेलर के रूप में चरणबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। आँगनबाड़ी केन्द्रों को इस कार्य के लिए नोडल केन्द्र बनाया जाएगा।

II- **जागरूकता अभियान :** कानून का व्यावहारिक ज्ञान प्रदर्शन करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव है। किन्नरों, भिखारियों एवं अन्य उपेक्षित वर्ग के कलाकारों को प्रशिक्षित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अधिनियमों एवं विधेयकों में निहित तथ्यों को नाटक, नुक्कड़ नाटक, डॉक्युमेंटरी फिल्मों के द्वारा प्रचार–प्रसार कर जागरूकता अभियान चलाना।

उद्देश्य : महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विषयों, अधिनियमों और नियमों तथा सरकार की महिला उत्थान से संबंधित योजनाओं आदि का प्रचार–प्रसार।

लाभार्थी/पात्रता : समुदाय विशेषकर महिलाओं एवं किशोरियों हेतु जागरूकता अभियान को संचालित करने वाली संस्थाएँ आदि।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा संचालक संस्था को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ / राशि : जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन, डॉक्युमेंटरी फिल्म का प्रदर्शन आदि। सामाजिक जागरुकता के लिए चयनित गैरसरकारी संस्था।

प्रक्रिया : किन्नरों, भिखारियों एवं अन्य उपेक्षित वर्ग के कलाकारों को प्रशिक्षित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अधिनियमों एवं विधेयकों में निहित तथ्यों को नाटक, नुक्कड़ नाटक, डॉक्युमेंटरी फिल्मों के द्वारा प्रचार–प्रसार कर जागरूकता अभियान चलाना।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संचालक संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(vii) **सामाजिक पुनर्वास कोष :** इसका उपयोग महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास (चिकित्सकीय, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है जिनको कठिन परिस्थितियों में संरक्षण एवं सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है।

आवश्यकता : पणन, घरेलू हिंसा आदि से संबंधित मामले काफी अधिक संख्या में हो रहे हैं। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से प्रभावित सभी महिलाओं के पुनर्वास के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये महिलाएँ पुनः पूर्ववत परिस्थिति में वापस चली जाती हैं। ऐसी महिलाओं को पुनर्वासित करने के लिए सामाजिक पुनर्वास कोष की व्यवस्था की गई है। अवैध पणन को रोकने के संबंध में कई ऐसे अप्रत्याशित विकल्प की जरूरत होती है, जो सामान्यतः आंकलित नहीं होती है। वैसी स्थिति में यदि आकस्मिक निधि

का प्रबंध नहीं हो तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, सरकार द्वारा सामाजिक पुनर्वास कोष का प्रबंध किया गया है।

उद्देश्य : अवैध मानव पणन एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला का बचाव, सुरक्षा एवं अभियोजन के लिए सामाजिक पुनर्वास कोष का निर्माण करना। अवैध मानव पणन को रोकने के लिए आवश्यक निरोधात्मक कारवाई करना। अवैध पणन एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए पुनर्वास हेतु परियोजना तैयार करना एवं उसका कार्यान्वयन करना। पीड़ित महिलाओं एवं उनके बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना। पीड़ित महिलाओं एवं उनके बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

लाभार्थी/पात्रता : अनैतिक मानव पणन एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ एवं उनके बच्चे।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को आवंटित की जाती है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ/राशि : पुनर्वास की राशि परियोजना प्रबंधक या किसी अधिकृत समिति जिसका गठन जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है, अनुशंसा पर देय है। जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 6 हजार मात्र का भुगतान इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है।

प्रक्रिया : पुनर्वास कोष की राशि प्राप्ति हेतु ऊपर वर्णित श्रेणी में आने वाली महिलाएँ एवं उनके बच्चे महिला हेल्पलाईन अथवा जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर प्राप्त कर सकती हैं।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : लगभग 70 प्रतिशत राशि के उपयोग के बाद अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(ख) आर्थिक सशक्तिकरण :

(i) सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन योग्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु प्रायः देखा जाता है कि उचित शैक्षणिक योग्यता होने के बाद भी महिलाओं की मेधा सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन में असफल होती हैं। अतः सरकार की सोच है कि अधिकांश महिलाओं एवं किशोरियों को सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाये। इसके लिए अनेक सेक्टर एवं ट्रेड को चिन्हित किया गया है। मसलन हाउस कीपिंग, मेडिकल ट्रांस्क्रिप्सन, ऑफिस मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट आदि ।

उद्देश्य : महिलाओं एवं किशोरियों को सेवा में नियोजन के योग्य बनाना तथा नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराना।

लाभार्थी/पात्रता : शिक्षित किशोरी एवं महिलाएँ।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा संचालक संस्था को

भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ / राशि : सेवा के विभिन्न सेक्टर एवं ट्रेड में सेवाप्रदाता संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण।

प्रक्रिया : न्यूनतम योग्यता रखने वाली किशोरियाँ एवं महिलाएँ प्रशिक्षण देने वाली चिन्हित संस्था के साथ समन्वय स्थापित कर आवेदन देकर प्रशिक्षण प्राप्त कर नियोजन अथवा स्वनियोजन प्राप्त कर सकती हैं।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संचालक संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(ii) **नवाचारी योजना :** महिला सशक्तिकरण की दिशा में नवाचारी प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता आधारित संघों एवं निबंधित गैर सरकारी संगठनों को नवाचार योजना की प्रस्तुति करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार से सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रायः देखा जाता है कि विशेष परिस्थितियाँ प्रकाश में आने पर किसी नयी योजना की कल्पना की जाती है, ताकि महिलाओं का अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से और अधिक सक्षम और सशक्त बनाया जा सके। अतः इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्ग की गरीब, प्रताड़ित एवं उद्यमी महिलाओं को उनके द्वारा किए गए नव प्रयोग को बढ़ावा देने की योजना को नवाचारी योजना के नाम से जाना जाता है।

उद्देश्य : महिला स्वयं सहायता समूहों / सहकारिता आधारित महिला संगठनों एवं महिलाओं के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नवोन्मेष योजना के कार्यान्वयन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना।

लाभार्थी/पात्रता : स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ एवं गैरसरकारी संस्थाएँ जिनके पास अपनी कोई नवोन्मेष योजना हो।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा समूह, सहकारी समिति एवं गैर सरकारी संस्था को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ/राशि : नवोन्मेष योजनाओं को आर्थिक सहयोग द्वारा बढ़ावा देना।

प्रक्रिया : नवोन्मेष योजना का विस्तृत प्रस्ताव निगम को समर्पित किया जाता है जिसकी समीक्षा के बाद निगम द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संचालक समूह / सहकारी समिति / गैर सरकारी संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(ग) सांस्कृतिक सशक्तिकरण :

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कला एवं संस्कृति एक महत्वपूर्ण पहलू है। सांस्कृतिक रूप से विकसित महिला से एक सशक्त समाज की परिकल्पना की जा सकती है। संस्कृति के संरक्षण तथा विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सांस्कृतिक सशक्तिकरण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है।

(i) **महिला सांस्कृतिक मेलों का आयोजन :** महिला सांस्कृतिक मेलों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के परंपरागत कौशल यथा लोक चित्रकला, लोक नाट्यकला, लोकगीत, सुगम संगीत आदि द्वारा उनके उद्योग, स्वयं सहायता समूह एवं उनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों आदि का प्रदर्शन, बिक्री को बढ़ावा देना है। मेलों का आयोजन, जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर किया जाता है।

(ii) **स्वयं सहायता समूह को नवाचारी कार्यों के लिए पुरस्कार योजना :** स्वयं सहायता समूह को नवाचारी योजना के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रखण्ड स्तर पर एक तथा प्रत्येक जिला स्तर पर तीन–तीन पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है। प्रखण्ड स्तरीय पुरस्कार 5,000 रुपया, जिला स्तरीय पुरस्कार 20,000, 15,000, 10,000 रुपये की होती है। इसके लिए राज्य स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जाता है।

उद्देश्य : महिलाओं, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की बिक्री एवं प्रदर्शनी हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण, बिक्री को प्रोत्साहन आदि।

लाभार्थी/पात्रता : महिलाएँ, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ आदि।

निधि का संवितरण : सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले मेला, ट्रेड फेयर आदि में भागीदारी तथा मेला और प्रदर्शनी का आयोजन।

देय सेवाएँ / राशि : प्रदर्शनी का आयोजन एवं भागीदारी हेतु आर्थिक सहायता।

प्रक्रिया : उत्पादक महिला समूह और सहकारी समितियाँ अपने उत्पादों के विवरण सहित सरस, ट्रेड फेयर, स्त्री शक्ति उत्सव आदि में भाग लेने का अनुरोध–पत्र निगम को दिया जाता है, जिसकी समीक्षा के उपरांत राशि का अनुमोदन निगम द्वारा किया जाता है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : निगम में इस कार्य हेतु पदस्थापित कर्मचारी/पदाधिकारी के द्वारा विपत्र के आलोक में राशि समायोजन हेतु उपयोगिता–पत्र तैयार किया जाता है और नियमानुसार जाँचोपरांत राशि का समायोजन निगम द्वारा किया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित

किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

5. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना:

इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना का लाभ 22 नवम्बर, 2007 के पश्चात सम्पन्न विवाह के लिए देय है। इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार तथा ऐसे अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय रू. 60,000 (साठ हजार) से कम हो, की कन्या को विवाह के समय रू. 5,000 (पाँच हजार) का भुगतान कन्या के नाम से किया जाना है।

इस योजना के लाभ लेने हेतु पात्रता निम्न प्रकार है :

i. कन्या के माता या पिता बिहार का निवासी हो,

ii. विवाह के समय वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो,

iii. पुनर्विवाह का मामला न हो, परन्तु विवाह अधिनियमों के अंतर्गत वैध पुनर्विवाह के मामलों में यह अनुदान देय होगा। विधवा विवाह को पुनर्विवाह नहीं माना जायेगा,

iv. विवाह का विधिवत निबंधन कराया गया हो,

v. दहेज नहीं देने की घोषणा की गयी हो।

बदलते परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सुचारू कार्यान्वयन तथा त्वरित भुगतान हेतु समाज कल्याण विभाग ने राज्य स्तर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रक्रिया को संपादित करने का निर्णय लिया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों का डाटा को अपडेट करते हुए उसे ई–सुविधा के पोर्टल पर संधारित किया जायेगा। आँकड़े/खाता की वैधता जाँच के पश्चात इसे सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजा जाएगा, जहाँ इसे फ्रिज करने की प्रक्रिया संपादित की जायेगी। तत्पश्चात प्रखण्डवार पेमेंट फाईल तैयार किया जायेगा जिसे सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा लॉक कर भुगतान हेतु प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।

6. 181 टोल फ्री महिला हेल्पलाईन :

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता देने के लिए 181 टोल फ्री नंबर से 24x7 परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

उद्देश्य : हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24x7 परामर्श दिया जाता है। संबंधित हितधारकों/सेवा प्रदाता को रेफरल सेवाओं हेतु रेफर किया जाता है। 181 महिला हेल्पलाईन में महिला हिंसा से जुड़े सभी मामले यथा घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज संबंधी, मानव पणन, मानसिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, छेडछाड़ इत्यादि से संबंधित मामले दर्ज किए जाते हैं। साथ ही महिलाओं से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाती है।

लाभार्थी/पात्रता : कोई भी पीड़ित महिला, किशोरी, जिनको परामर्श अथवा जानकारी प्राप्त करनी हो।

निधि का संवितरण: शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं वित्तीय अनुदान से संचालित है।

देय सेवाएँ/राशि : परामर्श एवं जानकारी देना।

प्रक्रिया : कोई भी पीड़ित किसी भी समय इस सेवा के लिए कॉल कर सकती है और परामर्श एवं जानकारी प्राप्त कर सकती है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : निगम द्वारा अंकेक्षण करा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है।

अनुश्रवण : नियमित अनुश्रवण महिला विकास निगम द्वारा किया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

7. वन स्टॉप सेंटर योजना :

महिलाओं एवं किशोरियों को परामर्श एवं अल्पकालीन आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में सात जिलों में इस योजना को शुरू किया गया है। शेष 31 जिलों में तृतीय चरण में शुरू किया जाना है।

उद्देश्य : हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को एक ही छत के नीचे परामर्श, आवासन, विधिक, पुलिस और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना।

लाभार्थी/पात्रता : महिलाएँ एवं किशोरियाँ।

निधि का संवितरण : शत–प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राशि राज्य सरकार के माध्यम से महिला विकास निगम और जिला पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है।

देय सेवाएँ / राशि : एक ही छत के नीचे परामर्श, चिकित्सीय सुविधा, पुलिस की सहायता, विधिक सहयोग आदि प्रदान किया जाता है।

प्रक्रिया : हिंसा से पीड़ित अथवा मानव पणन की शिकार कोई महिला या किशोरी वन स्टॉप सेंटर में लिखित अथवा मौखिक आवेदन देकर वन स्टॉप सेंटर की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : महिला विकास निगम अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्य सरकार के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

8. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :

यह योजना जिला स्तरीय गतिविधियों हेतु शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित है। इसकी राशि सीधे जिला

पदाधिकारी को दी जाती है।

उद्देश्य : बाल लिंगानुपात में सुधार करना। बेटियों की उत्तरजीविता एवं उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

लाभार्थी/पात्रता : समुदाय एवं समाज।

निधि का संवितरण : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जिला पदाधिकारी को सीधे राशि प्रदान की जाती है।

देय सेवाएँ / राशि : प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूकता लाना।

प्रक्रिया : टास्क फोर्स का गठन एवं उसके माध्यम से जन–जागरूकता हेतु विविध गतिविधियाँ।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : जिला पदाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है।

अनुश्रवण : जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

9. महिला शक्ति केन्द्र योजना :

भारत सरकार की योजना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी है। इस योजना में राज्य और केन्द्र सरकार की सहभागिता है।

उद्देश्य : इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सभी संकेंद्रित सहायक सेवाओं को एक केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाना है, इनमें कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल शिक्षा या साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं।

लाभार्थी/पात्रता : महिलाएँ एवं किशोरियाँ।

निधि का संवितरण : इसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है।

देय सेवाएँ/राशि : संकेन्द्रीय सहाय्य सेवाएँ एक ही केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाता है।

प्रक्रिया : इच्छुक महिलाएँ एवं किशोरियाँ केन्द्र में आवेदन देकर इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : निगम द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाती है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री
वृहद सहायता
छत्र योजना

मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना

1. उद्देश्य

इस छत्र–योजना का उद्देश्य है राज्य के निराश्रित, असहाय, भिक्षुक, किन्नर, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना; पुनर्वास कार्यक्रम/सेवाओं की स्थापना एवं विस्तारीकरण करना एवं पुनर्वास कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमतावर्धन करना।

2. छत्र–योजना का विवरण

इस छत्र–योजनान्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी:

2.1. बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना

इस परियोजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिये पेंशन छोड़कर अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक देखभाल संबंधित सेवाओं यथा बुनियाद केन्द्र, मोबाइल थेरेपी वैन "बुनियाद संजीवनी सेवा" आदि की स्थापना एवं विस्तारीकरण किया जायेगा।

2.2 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना

इस योजना में चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत भिक्षुकजनों का पुनर्वास, कौशल विकास तथा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना है, ताकि भिक्षावृत्ति दूर हो सके। इस योजना में वस्त्र वितरण योजना भी समाहित होगी।

2.3 वृद्धाश्रम

इस योजना अंतर्गत वृद्धाश्रम "सहारा" का निर्माण तथा संचालन समाहित होगी जिसमें राज्य के निराश्रित एवं निर्धन वृद्धजनों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सहयोग एवं उचित देख–भाल हेतु आवासन, वस्त्र, भोजन, चिकित्सकीय सुविधाएँ आदि उपलब्ध करायी जायेगी।

3.4 किन्नर कल्याण योजना

इस योजना के तहत राज्य के किन्नरों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आंकलन कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु कार्य किये जायेंगे।

3. निधि का संवितरण

इस छत्र–योजनान्तर्गत सभी योजनाएँ राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी, परन्तु आवश्यकतानुसार भारत सरकार, विश्व बैंक आदि से भी अनुदान/ऋण लिया जा सकेगा। जैसे, सम्प्रति बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना विश्व बैंक से ऋण पोषित है जिसकी अवधि की समाप्ति के पश्चात यह योजना राज्य सरकार द्वारा अंगीकार कर ली जाएगी।

4. देय राशि/सेवाएँ

इस छत्र–योजना के अंतर्गत विभिन्न देय राशि/सेवाएँ निम्नवत हैं:

4.1 बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना

इस योजना अंतर्गत बुनियाद केन्द्र के माध्यम से राज्य के दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जाँच एवं आधुनिक उपकरणों से उचित ईलाज, आँख, वाक् तथा श्रवण संबंधित जाँच, परामर्श एवं उचित ईलाज, काउंसिलिंग की सुविधा, रेफरल सेवाएँ, आवश्यक कानूनी एवं भावनात्मक परामर्श, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा के अन्य कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन तथा मोबाइल थेरेपी वैन से समुदाय स्तर तक सेवा प्रदान करना है।

4.2 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना

राज्य के भिक्षुकजनों को पुनर्वास/अल्पावास गृह के माध्यम से भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं परामर्श के साथ आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। वस्त्र वितरण के तहत सूती साड़ी, धोती, चादर एवं ऊनी कम्बल को भिक्षुकों, अपंगों एवं असहाय व्यक्तियों के बीच मुफ्त वितरण किया जायेगा। सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जुड़ाव स्थापित करने हेतु आवश्यक जानकारी एवं परामर्श दी जाएगी और प्रशिक्षित किया जायेगा। साथ ही उनके कौशल विकासोपरांत रोजगार हेतु नियोजकों एवं स्व–रोजगार हेतु पूंजी निवेशकों/बैंकों से समन्वय स्थापित कराया जायेगा ।

4.3 वृद्धाश्रम

इस योजना अंतर्गत निःशुल्क आवासन, वस्त्र, भोजन, मनोरंजन, चिकित्सकीय सुविधाएँ, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराया जायेगा।

4.4 किन्नर कल्याण

राज्य के किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु परामर्श देना, पक्ष पोषण करना, किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना एवं नवाचार योजनाओं का सूत्रण एवं कार्यान्वयन करना आदि इस योजना अन्तर्गत मुख्य गतिविधि होगी।

5. पात्रता

इस छत्र–योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन से तात्पर्य किसी भी लिंग/आयु का दिव्यांगजन, विधवा से तात्पर्य न्यूनतम 18 वर्ष की विधवा एवं वृद्धजन से तात्पर्य न्यूनतम 60 वर्ष का वृद्धजन होगा। इसी प्रकार निराश्रित, असहाय और भिक्षुक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही अनुमान्य होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। साथ ही नियोक्ता और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा एवं विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी। इसके आलोक में योजनावार पात्रता निम्नवत होगी :

बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	दिव्यांगजन, विधवा, वृद्धजन
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	निराश्रित, असहाय, विधवाएँ एवं भिक्षुक
वृद्धाश्रम	बी.पी.एल. या वार्षिक आय रू. 60,000 (साठ हजार) से कम वाले वृद्धजन
किन्नर कल्याण	राज्य के सभी किन्नर एवं योजना विशेष, यदि हो, की अर्हता

6. प्रक्रिया

इस छत्र योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगी:

6.1 आवेदन की प्रक्रिया

इस छत्र–योजनाधीन आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत होगी:

योजना का नाम:	आवेदन की प्रक्रिया:	अनुमोदन:
बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	स्वयं/रेफरल के द्वारा बुनियाद केन्द्र के माध्यम से	जिला प्रबंधक/सेंटर प्रबंधक
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	स्वयं/सर्वेक्षित/रेफरल द्वारा पुनर्वास गृह के माध्यम से	जिला प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित समिति
वृद्धाश्रम	सादे कागज में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन किया जाता है	जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति
किन्नर कल्याण	किन्नर कल्याण बोर्ड के दिशा–निर्देश के अनुसार	

6.2 धन राशि/सेवा वितरण की प्रक्रिया

निदेशालय द्वारा राशि की निकासी कर किन्नर कल्याण हेतु किन्नर कल्याण बोर्ड में तथा अन्य योजनाओं हेतु सक्षम के बैंक खाते में रखी जायेगी, जो संबंधित लाभार्थी एवं सेवा प्रदाता को सीधे उनके खाते में भुगतान करेगी। जैसे सक्षम से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से चयनित स्वयंसेवी संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम एवं पुनर्वास गृह को अनुबंध के अनुसार राशि उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अन्तर्गत सक्षम द्वारा Parent Child Account की पद्धति से जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को राशि उपलब्ध करायी जाती है तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया

जिला कार्यान्वयन इकाई स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर सक्षम द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। किन्नर कल्याण हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र किन्नर कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जायेगा।

7. अनुश्रवण प्रणाली

इस छत्र योजना अन्तर्गत सभी योजनाओं में जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धाश्रम का सतत् अनुश्रवण किया जायेगा एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय/विभाग को भेजा जायेगा।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस छत्र योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

अधिसूचना संख्या :– 03/यो0–32/2017/5723, पटना, दिनांक 27.11.2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना के अन्य तथ्य:

1. मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना

भिक्षावृत्ति से निदान पाना सभ्य समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भिक्षावृत्ति निवारण के लिए बिहार में बिहार बैगरी प्रिवेन्शन एक्ट, 1951 बनाया गया जिसमें भिक्षावृत्ति के रोकथाम करने के लिए कई प्रावधान किये गये थे, किन्तु भिक्षावृत्ति रोकने से पूर्व प्रमुख समस्या भिक्षुकों का पुनर्वास का है। इसलिए उपर्युक्त कानून को प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कर बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना नामक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई जिसका मुख्य उद्देश्य भिक्षुकों के कल्याण के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बनाई गई है जिसके तहत भिक्षुकजनों को पहचान–पत्र वितरित करते हुए सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जुड़ाव स्थापित करना, वृद्ध, पूर्णतः निःशक्त एवं लावारिश अवस्था में पाये जाने वाले भिक्षुकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना एवं नशा विमुक्तिकरण के द्वारा उनका पुर्नवास सुनिश्चित करना है।

1.1 योजना की प्रमुख गतिविधियाँ

सर्वेक्षण पहचान–पत्र वितरण : योजना अन्तर्गत भिक्षाटन से जीवनयापन कर रहे एकल एवं संयुक्त समुदाय को चिन्हित करना एवं उन्हें पहचान–पत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिससे कि पहचान–पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत संचालित गतिविधियों एवं सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजना से लाभान्वित कराया जा सके।

पुनर्वास केन्द्रों (पुनर्वास गृह, अल्पावास) की स्थापना एवं संचालन : योजना अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से पुनर्वास गृह, अल्पावास गृह की स्थापना एवं संचालन का प्रावधान है जिसमें महिला एवं पुरुष भिक्षुकों को चिन्हित कर पुनर्वास केन्द्रों में मूलभूत आवश्यक सुविधाएँ जैसे– भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं परामर्श के साथ आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

बसेरा का स्थापना एवं संचालन : गैर सरकारी संगठन के माध्यम से बसेरा का संचालन करने का प्रावधान है जिसमें एकल एवं संयुक्त अतिनिर्धन वैसे कामगार हैं जो दिनभर के काम के बाद आश्रयहीनता के कारण सार्वजनिक स्थलों पर रात्रि विश्राम करते हैं। इन लाभुकों को निःशुल्क आवासीय सुविधा, शुद्ध पेयजल आदि के साथ–साथ अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

बाल भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना : बाल भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु मार्गदर्शन, परामर्श चिकित्सीय देखभाल, नशामुक्ति, समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षण–प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्वासित किया जाता है।

आवासीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/कौशल कुटीर की स्थापना एवं संचालन : गैर सरकारी संगठन के माध्यम से योजना अन्तर्गत युवा भिक्षुकों को योग्यतानुसार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास करने के उपरान्त विभिन्न कार्यों यथा होटल, सुरक्षा प्रहरी, निर्माण कार्य आदि में नियोजित करने का प्रावधान है।

वस्त्र एवं कम्बल वितरण : शरद ऋतु में भिक्षुकों एवं अतिनिर्धनों में कम्बल तथा वस्त्र वितरण करने का प्रावधान है।

स्वयं सहायता समूह का गठन (सी.बी.एस.जी.) : अतिनिर्धनजनों में बचत की आदत का विकास करने एवं उनका सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से समुदाय आधारित बचत समूहों का गठन

किया जा रहा है।

स्वास्थ्य जाँच एवं प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन : सर्वेक्षित आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जिला स्तर पर स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य जाँच के उपरान्त आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध करायी जाती है।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किये जाने वाले केन्द्रों में आवश्यक संसाधनों से संबंधित प्रतिवेदन।

1. **स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालन किये जाने पर स्वयंसेवी संस्था की संभावित पात्रता :**

   1 आवेदन संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।

   2 2 वर्षों से अधिक आवासीय गृहों / बाल केन्द्रों / महिला गृह / वृद्धजन गृह / कुष्ठ केन्द्रों / नशा विमुक्ति केन्द्रों / अस्पतालों जो कि सरकारी / अर्धसरकारी संगठन / आई.एन.जी.ओ. / स्वायत्त निकायों द्वारा वित्त पोषित हो, का संचालन का अनुभव।

   3 पिछले तीन वित्तीय वर्ष की व्यय विवरणी (वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16) जिसमें संस्थान का प्रति वर्ष औसत कारोबार 10 लाख होनी चाहिए।

   4 पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2013–14, 2014–15 तथा 2015–16) का आयकर रिटर्न विवरणी।

   5 आवेदक संस्थान को न्यायालय / सरकार / विभाग द्वारा बेदखल / ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, का शपथ–पत्र विज्ञापन प्रकाशन के वाद की तिथि में होना चाहिए।

2. **आवश्यक मानव संसाधन :** गृह अधीक्षक, सहायक मेडिकल ए.एन.एम., क्षेत्र समन्वयक (बचाव, प्रत्यावर्तन एवं सामाजिक सुरक्षा) क्षेत्र समन्वयक, परामर्शदाता सह समस्या प्रबंधक, लेखापाल–सह–प्रचालक, सुरक्षा प्रहरी, रसोईया, सहायक रसोईया, सफाई कर्मचारी, धोबी, चिकित्सक सामान्य एवं मनोचिकित्सक अंशकालिक।

3. **भवन का क्षेत्रफल (6,000 वर्ग फुट):** लाभुकों हेतु आवासीय जगह, रसोईघर एवं भोजनालय, चिकित्सा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भंडार कक्ष, स्नान कक्ष, शौचालय, कार्यालय अधीक्षक कक्ष, परामर्श कक्ष, अधीक्षक हेतु आवासीय कक्ष, स्नान कक्ष एवं शौचालय सहित आवासीय कक्ष / अभिरक्षक, सहायक नर्सिंग मेडिकल, सफाई कर्मचारी, धोबी, प्रहरी इत्यादि हेतु शयन कक्ष, स्नान कक्ष एवं शौचालय आदि हेतु लगभग 4,500 वर्गफुट एवं बागवानी कार्य हेतु 1,500 वर्गफुट।

4. **केन्द्र में आवासित लाभुकों को मिलने वाले भोजन की सूची एवं मात्रा विस्तृत विनिर्देश के अनुसार।**

5. **वस्त्र एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विस्तृत/विनिर्देश :** 2 जोड़ी कमीज, 2 जोड़ी पतलून, 2 जोड़ी टी–शर्ट, 2 जोड़ी अंतःवस्त्र, 1 तौलिया, 1 लुंगी, व्यक्तिगत साफ–सफाई किट का सेट जिसमें 50 ग्राम टूथपेस्ट, 100 मिली लीटर नारियल तेल, 1 कंघी, 1 पीस शौचालय साबुन, 1 पीस जीभी, 1 पीस मुँह धोने का ब्रश, 1 जोड़ी चप्पल।

6. **स्थापना हेतु परिसम्पत्तियाँ:** कम्प्युटर सेट डेक्सटॉप, प्रिन्टर (ऑल इन वन), डिजीटल कैमरा, सी.सी.टी.वी. कैमरा (डोम विजन), बायोमैट्रिक्स डिवाईस, आईरिस स्कैनर, दरी, पंखा, ऑलमीरा, वाशिंग मशीन, रेफ्रीजरेटर / फ्रीजर, आर.ओ. वाटर फिल्टर, टेलीविजन सेट, बिस्तर सेट लॉकर बॉक्स के साथ, विद्युत फिटिंग, फर्नीचर, खेल और सांस्कृतिक साधन, रसोई सेट एवं विविध।

7. **कुल व्यय वार्षिक मद :** कर्मियों का मानदेय, मकान किराया, बिजली (अधिकतम वास्तविक व्यय के आधार

पर), दूरभाष, इन्टरनेट फैक्स के साथ, भरण पोषण (भोजन / 1,400 एवं कपड़ा, चप्पल, दवा, साबुन, तेल, पाउडर इत्यादि / 600) सरकारी अस्पताल में चिकित्सा / व्यसन मुक्ति / परामर्शी / अन्य विशेष मामले में रेफरल व्यय (वास्तविक व्यय के आधार पर) अतिरिक्त गतिविधियाँ / व्यावसायिक प्रशिक्षण / सांस्कृतिक गतिविधियाँ / आजीविका प्रशिक्षण एवं अन्य यात्रा, पुस्तकालय (अखबार, पत्रिकाएँ) एवं अन्य आकस्मिकता।

8. **कार्य अवधि एवं कार्य का नवीकरण :** चयनित संस्था को अनुबंध हस्ताक्षरित करने की तिथि से कुल 11 माह तक लिये कार्य आवंटन दिया जाएगा। चयनित संस्थान द्वारा पिछले 11 माह में किये गये कार्य को संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में अनुबंध को प्रत्येक अगले 11 माह पर अधिकतम 33 माह तक अनुबंध को विस्तारित किया जा सकता है। जबकि इस संदर्भ में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

2. बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बी.आई.एस.पी.एस.)

समाज कल्याण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बी.आई.एस.पी.एस.) स्वीकृत की गयी है। बी.आई.एस.पी.एस. परियोजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक देखभाल संबंधित सेवाओं की स्थापना करना और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय क्षमतावर्द्धन करना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग की सोसाइटी स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर, 'सक्षम' तथा ग्रामीण विकास विभाग की सोसाइटी बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसायटी (बी.आर.डी.एस.) द्वारा किया जा रहा है।

2.1 बी.आई.एस.पी.एस. परियोजना के दो मूल घटक हैं:

क. वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल संबंधित सेवाओं की स्थापना एवं विस्तारीकरण।

ख. सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय क्षमतावर्धन।

परियोजना का एक मुख्य घटक है 'बुनियाद केन्द्र' जिसकी स्थापना सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक देखभाल संबंधी सेवाएँ प्रदान करने हेतु की जा रही है। इन केन्द्रों में वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक देखभाल से जुड़ी कई प्रकार की सेवाएँ दी जानी हैं। परियोजना के एक अन्य महत्वपूर्ण घटक के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की गई है, साथ ही पेंशन के अन्तर्गत प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण डी.बी.टी. की शुरुआत भी की गई है। इस व्यवस्था से सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान प्रक्रिया में गति, सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ–साथ कार्यकुशलता आएगी तथा पेंशन के लाभार्थियों–वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवाओं तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ बेहतर ढंग से पहुँच सकेगा।

राज्य के सभी 101 अनुमण्डलों में कुल 101 बुनियाद केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में सभी 38 जिलों में बुनियाद केन्द्रों का तत्काल संचालन किया जा रहा है।

बुनियाद केन्द्रों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और परामर्श के अलावा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण संबंधी परामर्श भी दिया जा रहा है। इन केन्द्रों में आधुनिक मशीनों द्वारा वाक् एवं श्रवण संबंधी जाँच के साथ–साथ आँखों की जाँच और उचित इलाज के लिए परामर्श की सुविधा एवं विकलांगता प्रमाणीकरण हेतु विभिन्न जाँच की सुविधा भी उपलब्ध है। वृद्धावस्था की आम समस्याओं जैसे घुटने एवं

कमर में दर्द, गठिया, लकवा और हड्डियों के टूटने से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए फिजियोथेरैपी की व्यवस्था भी यहाँ की गयी है।

बुनियाद केन्द्रों में सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था के तहत कानूनी सलाह एवं भावनात्मक परामर्श भी दिए जाते हैं जिससे इन उपेक्षित वर्गों में जिन्दगी के प्रति सकारात्मक सोच बनी रहे। साठ वर्ष से ऊपर के वृद्धजन, दिव्यांगजन (शारीरिक और मानसिक या किसी भी तरह की दिव्यांगता से ग्रसित किसी भी आयु वर्ग की महिला, पुरुष एवं बच्चे) और 18 वर्ष से ऊपर की विधवाएँ बुनियाद केन्द्रों की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। विशेष परिस्थिति में जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए जिला स्तर पर केन्द्रों में अल्प समय के लिए रुकने की भी व्यवस्था है।

बी.आई.एस.पी.एस. परियोजना का उद्देश्य है कि ना केवल बुनियाद केन्द्र परिसर में आने वाले वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवाओं को सामाजिक देखभाल प्रदान की जाए बल्कि आवश्यकतानुसार विशिष्ट वाहनों के जरिये गाँव और पंचायतों तक पहुँचकर समुदाय स्तरीय सेवाएँ भी प्रदान किया जा सके। समस्त सभी 38 जिलों में मोबाईल आउटरीच और थेरेपी वैन का संचालन किया जा रहा है। इस सेवा को 'बुनियाद संजीवनी सेवा' का नाम दिया गया है। यह विशिष्ट वाहन आवश्यक उपकरणों और सेवाओं से सुसज्जित हैं। इन वाहनों के माध्यम से पंचायतों में शिविर लगाकर लक्षित समूहों को चिन्हित कर उनके लिए आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने की व्यवस्था है। अगर वाहन में उपलब्ध सुविधाएँ लाभार्थियों के लिए पर्याप्त न हों तो उन्हें बुनियाद केंद्र या अस्पताल रेफर किया जाता है।

परियोजना के लाभार्थियों को सीधे–सीधे परियोजना के लाभों से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है जिससे ज्यादा–से–ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके। परियोजना से संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं अन्य भागीदारों की क्षमतावृद्धि हेतु व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना है।

मुख्यमंत्री
कन्या उत्थान
योजना

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना, 02 वर्ष की बालिकाओं को सम्पूर्ण टीकाकरण करना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, बालिका शिशु मृत्यु दर कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, कुल प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा में लाना है, जिसके परिणामस्वरूप बालिकाओं द्वारा परिवार तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत कन्या शिशु के जन्म पर शिशु के माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में रू. 2,000 दी जायेगी तथा कन्या शिशु के 01 वर्ष पूरे होने तथा आधार पंजीकरण किये जाने के बाद रू. 1,000 उक्त खाते में पुनः देय होगा। यह लाभ दो कन्या शिशु तक ही देय होगा। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समाज कल्याण निदेशालय द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से उपलब्ध कराई गयी सूची एवं बैंक खाते में सीधे Parent & Child Account के माध्यम से NEFT/RTGS से राशि का हस्तांतरण किया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत 2 वर्ष आयु पूर्ण होने पर बच्चियों के सम्पूर्ण टीकाकरण कराने के उपरान्त प्रति लाभार्थी बच्ची के माता/पिता/अभिभावक को रू. 2,000 डी.बी.टी. के माध्यम से दिया जायेगा। राशि के वितरण से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

शिक्षा विभाग अन्तर्गत उपर्युक्त संचालित योजनाओं से राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (प्रोजेक्ट विद्यालय सहित)/ प्रस्वीकृत/संबद्धता प्राप्त विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित विद्यालय/ राजकीय महाविद्यालय/अंगीभूत एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) महाविद्यालय की छात्राएँ लाभान्वित होंगी। राशि का वितरण डी.बी.टी. के तहत बालिकाओं को उनके बैंक खाते में एन.ई.एफ.टी. /आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अंतरित किया जायेगा। योजना से संबंधित दिशा–निर्देश एवं एतद संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

इस योजना से संबंधित राशि का वितरण Parent & Child Account एवं डी.बी.टी. के माध्यम से किया जायेगा। इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता एवं सुगमता होगी, वहीं दूसरी ओर धनराशि के वितरण में Parent & Child Account एवं डी.बी.टी. की व्यवस्था होने से सरलता एवं पारदर्शिता भी आएगी साथ ही प्रक्रियात्मक एकरूपता होने से लाभार्थियों को भी संशय कम होगा और उन्हें भी योजना का लाभ समझने एवं उसे प्राप्त करने में आसानी होगी।

अधिसूचना संख्याः 3/यो0–29/2018–2434 पटना, दिनांक : 25/04/2018

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्य तथ्य:

योजना का नाम : मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

1. योजना का उद्देश्य :

(i) कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।

(ii) कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना।

(iii) लिंग अनुपात में वृद्धि लाना।

(iv) जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना।

(v) 2 वर्ष की बालिकाओं को सम्पूर्ण टीकाकरण करना।

(vi) बालिका शिशु मृत्यु दर कम करना।

(vii) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।

(viii) बाल विवाह पर अंकुश लगाना।

(ix) कुल प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाना।

2. लक्ष्य समूह :

(i) इस योजना का लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से जन्म लेने वाली बच्ची को देय होगा।

(ii) इस योजना का लाभ परिवार की मात्र दो कन्या संतानों को ही देय होगा।

(iii) बिहार के निवासी परिवार को देय होगा।

3. अनुदान का स्वरूप :

इस योजना के तहत कन्या के जन्म से 01 वर्ष तक की आयु वर्ग की प्रति कन्या के माता–पिता/अभिभावक के बैंक खाते में रू. 2,000 (दो हजार) की राशि हस्तांतरित की जायेगी तथा बच्ची की 1 वर्ष पूरे होने एवं आधार पंजीकरण किये जाने के बाद रू. 1,000 (एक हजार) की राशि पुनः उसी खाते में देय होगा।

4. पात्रता :

(i) बिहार के निवासी के कन्या संतानों को देय होगा।

(ii) जन्म का विधिवत निबंधन कराया गया हो।

(iii) इस योजना का लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से जन्म ली जाने वाली बच्ची को देय होगा।

(iv) यह लाभ एक परिवार की दो कन्या शिशु तक ही देय होगा।

(v) योजना के लाभार्थी आवेदन की तिथि के प्रथम पावना 0–1 वर्ष की कन्या शिशु के माता/पिता अभिभावक को रू. 2,000 एवं द्वितीय पावना 1–2 वर्ष की कन्या शिशु को रू. 1,000 सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त कन्या शिशु के माता / पिता/अभिभावक को देय होगा।

5. **आवेदन की प्रक्रिया :**

(i) इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रपत्र बाल विकास परियोजना के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगा।

(ii) इस योजना हेतु आवेदन प्रपत्र सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) इस योजना के लाभ हेतु आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर जमा किया जायेगा।

(iv) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस हेतु स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।

(v) स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा भरे हुए आवेदन प्रपत्र को पंजीकृत करते हुए सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध करायेंगे।

(vi) सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई का कार्यालय आवेदनों की सूची को संकलित कर इस हेतु उन्हें आवंटित राशि को लाभार्थी के माता/ पिता/अभिभावक के खाते में हस्तांतरण करने की कार्रवाई करेंगे।

6. **आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक कागजात निम्नवत होंगे :**

(i) आवासीय प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

(ii) जन्म निबंधन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

(iii) पहचान–पत्र की छाया प्रति।

(iv) दो कन्या संतान के संबंध में विहित आवेदन प्रपत्र के कॉलम को आँगनबाड़ी सेविका द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा।

7. **योजना राशि का प्रबंधन :**

इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निधि की व्यवस्था की जायेगी, इसके तहत समाज कल्याण निदेशालय से इस मद में राशि सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके पश्चात सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा राशि का हस्तांतरण लाभार्थी के माता–पिता/अभिभावक के बैंक खाते में कर दिया जायेगा।

8. **भुगतान की प्रक्रिया :**

इस योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर कन्या शिशु के माता–पिता/अभिभावक के बैंक खाते में रू. 2,000 (दो हजार) की राशि हस्तांतरित की जायेगी तथा कन्या शिशु के 01 वर्ष पूरे होने पर तथा आधार पंजीकरण किये जाने के उपरांत बच्ची को रू. 1,000 (एक हजार) रूपये की राशि उक्त बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित गृहों में कुल स्वीकृत/कार्यरत पद

भिक्षुक पुनर्वास गृह	अल्पावास गृह	रक्षा गृह	वृद्धाश्रम	बालक गृह	बालिका गृह	विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान	खुला आश्रय	आसरा गृह
स्वीकृत पद								
20	12	12	16	14	14	11	8	25
वर्तमान पद								
गृह अधीक्षक 1	प्रशिक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी 2	अधीक्षिका 1	अधीक्षक 1	अधीक्षक 1	अधीक्षक 1	मैनेजर / समन्वयक 1	परियोजना समन्वयक सह परामर्शी 1	अधीक्षक 1
ए.एन.एम. 1	परामर्शी 1	परामर्शी 1	केयर गिर्भस 4	परामर्शी 1	परामर्शी 1	सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर 1	सामाजिक कार्यकर्ता 1	परामर्शी 1
क्षेत्र समन्वयक 2	लिपिक सह कार्यालय सहायक 1	चिकित्सक (अंशकालीन) 1	चिकित्सक (अंशकालीन) 1	परीविक्षा अधिकारी 1	परीविक्षा अधिकारी 1	नर्स 1	केयर गिर्भस ब्रीज कोर्स एजुकेटर 2	परीविक्षा अधिकारी 1
परामर्शदाता 1	चिकित्सक (अंशकालीन) 1	स्टॉफ नर्स (अंशकालीन) 1	फिजियोथेरेपिस्ट /रिहै0/ओक्येर0 (अंशकालीन) 1	गृह माता/गृह पिता 2	गृह माता/गृह पिता 2	चिकित्सक (अंशकालीन) 1	आउटरीच वर्कस 3	गृह माता/गृह पिता 2
लेखापाल	चौकीदार 3	1 भी.टी. एण्ड आई. (अंशकालीन) 1	भण्डारपाल सह लेखापाल 1	पारा मेडिकल स्टॉफ 1	पारा मेडिकल स्टॉफ	आया 6	सहायक रसोईया 1	आक्युपेशनल थेरेपिस्ट 2
केयर टेकर 5	आदेशपाल 1	परामर्शी 1	नर्स 2	लेखापाल सह भण्डारपाल 1	लेखापाल सह भण्डारपाल 1	चौकीदार 1		लेखापाल सह भण्डारपाल 1
रसोइया 1	रसोईया 1	सुरक्षाप्रहरी 3	हेल्पर 1	रसोईया 1	रसोईया 1			रसोईया 1
हेल्पर 1	सफाईकर्मी 2	रसोईया 1	रसोईया 2	हेल्पर 1	हेल्पर 1			हेल्पर 2
सफाई कर्मी 2		सहायक रसोईया 1	स्वीपर 2	हाउसकीपर 1	हाउसकीपर 1			सुरक्षा प्रहरी 3
वायर मैन 1		प्रशिक्षक (अंशकालीन) 1	धोबी 1	प्रशिक्षक 1	प्रशिक्षक 1			अनुसेवक 2
गार्ड 3				चिकित्सक (अंशकालीन) 1	चिकित्सक (अंशकालीन) 1			चिकित्सक (अंशकालीन) 1
चिकित्सक (अंशकालीन) 1				कला एवं संगीत शिक्षक (अंशकालीन) 1	कला एवं संगीत शिक्षक (अंशकालीन) 1			मनोचिकित्सक (अंशकालीन) 1
				पी0टी0 सह योग शिक्षक (अंशकालीन) 1	पी0टी0 सह योग शिक्षक (अंशकालीन) 1			ए.एन.एम. 1
								केयर टेकर 4
								स्पेशल एजुकेटर (शिक्षक) 2

सरकार के द्वारा संचालित गृहों के लिए स्वीकृत/कार्यरत पद

बालक गृह	बालिका गृह	विशेष गृह	पर्यवेक्षण गृह	सुरक्षित स्थान	उत्तर रक्षा गृह	बाल गृह तथा बालिका गृह (विशेष इकाई)	बाल गृह तथा बालिका गृह (विशेष इकाई)
स्वीकृत पद							
32	32	14	16	14	26	17	17
वर्तमान पद							
अधीक्षक 1	अधीक्षक 1	अधीक्षक 1	अधीक्षक 1	अधीक्षक 1	अधीक्षक 1	अधीक्षक 1	अधीक्षक 1
परामर्शी 1	परामर्शी 1	परामर्शी 1	परामर्शी 1	परामर्शी 1	परामर्शी 1	परामर्शी 1	परामर्शी 1
परीविक्षा अधिकारी 1	परीविक्षा अधिकारी 1	परीविक्षा अधिकारी 1	परीविक्षा अधिकारी 1	परीविक्षा अधिकारी 1	लेखापाल सह भण्डारपाल/लिपिक 1	परीविक्षा अधिकारी 1	परीविक्षा अधिकारी 1
गृह माता/गृह पिता 2	गृह माता/गृह पिता 2	गृह माता/गृह पिता 2	गृह माता/गृह पिता 2	गृह माता/गृह पिता 2	शिक्षिका 2	गृह माता/गृह पिता 2	गृह माता/गृह पिता 2
पारा मेडिकल स्टॉफ 1	पारा मेडिकल स्टॉफ 1	पारा मेडिकल स्टॉफ 1	पारा मेडिकल स्टॉफ 1	पारा मेडिकल स्टॉफ 1	मैट्रन 2	पारा मेडिकल स्टॉफ 1	पारा मेडिकल स्टॉफ 1
लेखापाल सह भण्डारपाल 1	लेखापाल सह भण्डारपाल 1	लेखापाल सह भण्डारपाल 1	लेखापाल सह भण्डारपाल 1	लेखापाल सह भण्डारपाल 1	मेस सर्वेन्ट 2	लेखापाल सह भण्डारपाल 1	लेखापाल सह भण्डारपाल 1
रसोईया 1	रसोईया 1	रसोईया 1	रसोईया 1	रसोईया 1	चालक 1	रसोईया	रसोईया 1
हेल्पर 1	हेल्पर 1	हेल्पर 1	हेल्पर 1	हेल्पर 1	आदेशपाल / रात्रि प्रहरी 3	हेल्पर 1	हेल्पर 1
हाउसकीपर 1	हाउसकीपर 1	हाउसकीपर 1	हाउसकीपर 1	हाउसकीपर 1	स्वीपर 2	हाउसकीपर 1	हाउसकीपर 1
व्यावसायिक प्रशिक्षक 1	प्रशिक्षक 1	प्रशिक्षक 1	प्रशिक्षक 1	प्रशिक्षक 1	चिकित्सक (अंशकालीन) 1	प्रशिक्षक 1	प्रशिक्षक 1
चिकित्सक (अंशकालीन) 1	चिकित्सक (अंशकालीन) 1	चिकित्सक (अंशकालीन) 1	चिकित्सक (अंशकालीन) 1	चिकित्सक (अंशकालीन) 1	उत्तर रक्षा गृह में कॉउन्सलर 1, संगीत शिक्षक (अंशकालीन) 1, शारीरिक प्रशिक्षक एवं योग शिक्षक (अंशकालीन) 1, रसोईया 1, हेल्पर 2, महिला परिचारिका 2, स्वीपर 2 कुल 10 कर्मीयों की सेवा आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त की जा रही है।	चिकित्सक (अंशकालीन) 1	चिकित्सक (अंशकालीन) 1
कला एवं संगीत शिक्षक (अंशकालीन) 1	कला एवं संगीत शिक्षक (अंशकालीन) 1	कला एवं संगीत शिक्षक (अंशकालीन) 1	कला एवं संगीत शिक्षक (अंशकालीन) 1	कला एवं संगीत शिक्षक (अंशकालीन) 1		कला एवं संगीत शिक्षक (अंशकालीन) 1	कला एवं संगीत शिक्षक (अंशकालीन) 1
पी.टी. सह योग शिक्षक (अंशकालीन) 1	पी.टी. सह योग शिक्षक (अंशकालीन) 1	पी.टी. सह योग शिक्षक (अंशकालीन) (व्यावसायिक) प्रशिक्षक 1	पी.टी. सह योग शिक्षक (अंशकालीन) (व्यावसायिक) प्रशिक्षक 1	पी.टी. सह योग शिक्षक (अंशकालीन) 1		पी.टी. सह योग शिक्षक (अंशकालीन) 1	पी.टी. सह योग शिक्षक (अंशकालीन) 1
शारीरिक प्रशिक्षक 1, प्रशिक्षित शिक्षक 2, संगीत कला शिक्षक 1, महिला अभिभावक 2, रसोईया 1, हेल्पर 1, प्रशिक्षित सफाईकर्मी 1, प्रशिक्षित निजी सुरक्षा गार्ड 6, अंशकालीन प्रशिक्षित दर्जी 1, स्वीपर 2 कुल 18 पद पर आउटसोर्स के आधार पर सेवा प्राप्त की जा रही है।	शारीरिक प्रशिक्षक 1, प्रशिक्षित शिक्षक 2, संगीत कला शिक्षक 1, महिला अभिभावक 2, रसोईया 1, हेल्पर 1, प्रशिक्षित सफाईकर्मी 1,प्रशिक्षित निजी सुरक्षा गार्ड 6, अंशकालीन प्रशिक्षित दर्जी 1, स्वीपर 2 कुल 18 पद पर आउटसोर्स के आधार पर सेवा प्राप्त की जा रही है।		चालक 1			विशेष प्रशिक्षक/थेरेपिस्ट 1	विशेष प्रशिक्षक/थेरेपिस्ट 1
			माली 1			नर्स (महिला) 1	नर्स (महिला) 1
						केयर टेकर सह व्यावसायिक प्रशिक्षक 1	केयर टेकर सह व्यावसायिक प्रशिक्षक 1

विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न गृहों से संबंधित तथ्य

क्र.	विभिन्न प्रकार के गृह	योजना का नाम	लाभार्थी वर्ग	संचालन एजेन्सी	आवासीय क्षमता
1	भिक्षुक पुनर्वास गृह	मुख्युमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	भिक्षुकजन	गैर सरकारी	50
2	अल्पावास गृह	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	महिला	गैर सरकारी	50 पटना 25 अन्य जिला
3	रक्षा गृह	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	महिला	गैर सरकारी	50
4	वृद्धाश्रम	वृद्धाश्रम सहारा	वृद्धजन	गैर सरकारी	50
5	बालक गृह	समेकित बाल संरक्षण योजना	बालक	सरकारी	50
6	बालिका गृह	समेकित बाल संरक्षण योजना	बालिका	सरकारी	50
7	बालक गृह	समेकित बाल संरक्षण योजना	बालक	गैर सरकारी	50
8	बालिका गृह	समेकित बाल संरक्षण योजना	बालिका	गैर सरकारी	50
9	विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान	समेकित बाल संरक्षण योजना	शिशु	गैर सरकारी	10
10	खुला आश्रय	समेकित बाल संरक्षण योजना	महिला / पुरूष	गैर सरकारी	25
11	विशेष गृह	समेकित बाल संरक्षण योजना	महिला	सरकारी	50
12	पर्यवेक्षण गृह	समेकित बाल संरक्षण योजना	बालक / बालिका	सरकारी	50
13	सुरक्षित स्थान	समेकित बाल संरक्षण योजना	महिला / पुरूष	सरकारी	50
14	बाल गृह तथा बालिका गृह (विशेष इकाई)	समेकित बाल संरक्षण योजना	बालक / बालिका	सरकारी / गैर सरकारी	बाल गृह तथा बालिका गृह (विशेष इकाई)
15	बाल गृह तथा बालिका गृह (विशेष इकाई)	समेकित बाल संरक्षण योजना	बालक / बालिका	सरकारी / गैर सरकारी	बाल गृह तथा बालिका गृह 8विशेष इकाई)
16	उत्तर रक्षा गृह	राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह	महिला	सरकारी	उत्तर रक्षा गृह
17	आसरा गृह	आसरा गृह योजना	महिला	गैर सरकारी	50
18	चमन	सम्बल	दिवाकालीन विद्यालय (दिव्यांग बच्चों के लिए)	गैर सरकारी	50
19	उज्ज्वला गृह	उज्ज्वला गृह	महिला	गैर सरकारी	50
20	स्वाधार गृह	स्वाधार गृह	महिला	गैर सरकारी	30

नोट : (i) 09 बाल गृह तथा 05 बालिका गृह (विशेष इकाई) का संचालन बाल एवं बालिका गृह के अन्तर्गत ही किया जाता है।

(ii) उत्तर रक्षा गृह में आवासीय क्षमता 50 की है लेकिन वर्तमान में लगभग 200 महिलाएँ निवास कर रही हैं।

(iii) चमन में आवासीय सुविधा नहीं है केवल दिवाकालीन विद्यालय का संचालन किया जाता है।

(iv) स्वाधार तथा उज्ज्वला गृह के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

एक नजर में

स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से संचालित जरूरतमंदों, वृद्धों एवं महिलाओं के लिए संचालित संस्थान

क्र. सं.	शेल्टर होम	उद्देश्य	अधिकतम क्षमता	मानव संसाधन	भवन	स्थापना हेतु परिसम्पत्ति
1	भिक्षुक गृह	वृद्ध, निःशक्त एवं लावारिस अवस्था में पाये जाने वाले भिक्षुकों को आवासीय सुविधा एवं उनके पुर्नवास हेतु संचालित।	50	गृह अधीक्षक –01, नर्स 01, परार्मशदाता –01, भण्डारपाल–सह–लेखापाल–01, फिल्ड कॉर्डिनेटर–02, रसोईया –01, सहायक रसोईया –01, केयर टेकर–05, सुरक्षा प्रहरी –01, सफाई कर्मी –02, धोबी –01	कुल क्षे. 2,000 वर्ग फुट, चिकित्सक कक्ष, रसोई घर, डाईनिंग हॉल, मनोविनोद कक्ष, भंडार गृह, स्नानघर, शौचालय, कार्यालय कक्ष, अधीक्षक कार्यालय कक्ष, परामर्श एवं मार्गदर्शन कक्ष एवं बागवानी	कार्यालय टेबल, कार्यालय कुर्सी, आलमीरा, कम्प्युटर–सह –प्रिंटर स्कैनर सहित, टी. वी. सेट, किचेन एवं भोजन कक्ष हेतु सामग्री, इंधन सिलेन्डर, आयरन, दरी, डिजिटल कैमरा, CCTV
2	वृद्धाश्रम	निराश्रित, उपेक्षित एवं बेसहारा वृद्धजनों को आश्रय एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु संचालित ।	50	अधीक्षक–01, केयर टेकर – 04, भण्डारपाल–सह–लेखापाल–01, रसोईया–02, सहायक रसोईया–01, डॉक्टर (अंशकालिक) –01, धोबी–01, नर्स–02, स्वीपर–01	कुल क्षे. 9,000 वर्ग फुट, आवासीय कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भोजन कक्ष, रसोईघर, खेलने का स्थान, परामर्श कक्ष, स्नान घर एवं शौचालय	बेड–50, टेबल–12, कुर्सी–100, CCTV–3, कम्प्यूटर–2, टेलीविजन–3, आलमीरा–50, प्रिंटर –2, किचन हेतु बर्तन–1 सेट, गैस चूल्हा गैस सहित इत्यादि ।
3	महिला अल्पावास गृह	वैसी महिला जो घरेलू हिंसा, मानव पणन अथवा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या पीड़ित हो उन्हें न्यायालय में पैरवी करने के दौरान आवासन हेतु संचालित।	50 (पटना) 25 (अन्य जिलों में)	प्रशिक्षण एवं पुनर्वास पदाधिकारी(महिला हेतु आरक्षित)–2, परामर्शी (महिला हेतु आरक्षित)–1, चिकित्सक (अंशकालीन)–1, लिपिक–सह–कार्यालय सहायक–1, चौकीदार–3, आदेशपाल–1, रसोईया–1, सफाईकर्मी (अंशकालीन)–2	कुल क्षे. 2,000 वर्ग फुट (पटना के लिए), 1,200 वर्ग फीट (अन्य जिलों के लिए) चिकित्सक कक्ष, रसोई घर, डाईनिंग हॉल, शयनशाला, भंडार गृह, स्नानघर, शौचालय, कार्यालय कक्ष	कम्प्युटर–सह–प्रिंटर स्कैनर सहित, टी. वी. सेट, किचेन एवं भोजन कक्ष हेतु सामग्री, इंधन सिलेन्डर, आयरन, दरी, डिजिटल कैमरा, CCTV–05, टैब–01, अग्निशमन यंत्र, इनवर्टर (बैट्री सहित), एक्वागार्ड (ए.एम.सी. सहित)
4	रक्षा गृह	मानव व्यापार की पीड़िताओं के सुरक्षित आवासन, भोजन तथा समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु संचालित	50 (केवल पटना में संचालित)	गृह अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी, नर्स (अंशकालिक), व्यावसायिक प्रशिक्षक, परामर्शदाता, सुरक्षा प्रहरी, रसोईया, सफाई कर्मी, डॉक्टर (अंशकालिक)	शयनशाला, भंडार गृह, स्नानघर, शौचालय, कार्यालय कक्ष, मनोविनोद कक्ष, परामर्श एवं मार्गदर्शन कक्ष	कम्प्युटर–सह–प्रिंटर स्कैनर सहित, टी. वी. सेट, किचेन एवं भोजन कक्ष हेतु सामग्री, इंधन सिलेन्डर, आयरन, दरी, डिजिटल कैमरा, CCTV–05, अग्निशमन यंत्र, इनवर्टर (बैट्री सहित), एक्वागार्ड (ए.एम.सी. सहित) वाशिंग मशीन

स्वंयसेवी संस्थानों एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बाल देखरेख संस्थान

A. देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु बाल देखरेख संस्थान

क्र. सं.	शेल्टर होम	उद्देश्य	अधिकतम क्षमता	मानव संसाधन	भवन	स्थापना हेतु परिसम्पत्ति
1	बाल गृह / बालिका गृह	06 से 18 वर्ष आयु समुह के निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास तक आवासित करने हेतु संचालित	50	गृह अधीक्षक, परामर्शदाता, बाल सुधार पदाधिकारी, गृह पिता/माता, भण्डारपाल–सह–लेखापाल, रसोईया, सहायक रसोईया, डॉक्टर (अंशकालिक), सुरक्षा प्रहरी, (बालिका गृह में सभी कर्मी महिला होगी)	कुल क्षे. 8,745 वर्ग फुट, आवासीय कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भोजन कक्ष, रसोईघर, खेलने का स्थान, परामर्श कक्ष, स्नान घर एवं शौचालय	बेड, टेबल, कुर्सी, CCTV, 3–कम्प्यूटर, 2–टेलीविजन, किचन हेतु बर्तन, गैस चूल्हा गैस सहित, खेलने का समान इत्यादि ।
2	विशेष दत्तक गृह	06 वर्ष की आयु से नीचे अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों के आवासन हेतु संचालित	10	समन्वयक –1, सामाजिक कार्यकर्ता–1, नर्स–1, डॉक्टर (अंशकालिक) –1, आया –6, सुरक्षा प्रहरी–1	आवासीय कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भोजन कक्ष, रसोईघर, विशेष कक्ष (विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए), स्नान घर एवं शौचालय	CCTV, 1–कम्प्यूटर, 1–प्रिंटर , 10–झूला, रसोईघर हेतु बर्तन, गैस चूल्हा गैस सहित इत्यादि ।
3	खुला आश्रय	शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्र में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (भीख मांगते, सड़क पर रहने, कुड़ा बीनने, सड़क पर तमाशा दिखाने) को अस्थायी आश्रय प्रदान करने हेतु संचालित	25	गृह अधीक्षक–सह–परामर्शी, सोशल वर्कर, 2– केयर टेकर–सह–शिक्षक, 3– आउड रीच वर्कर, रसोईया, सहायक	2,000– वर्ग फुट, आवासीय कक्ष, मनोरंजन कक्ष, खेल का स्थान, रसोई घर, स्नान घर एवं शौचालय	2–कम्प्यूटर, 1–प्रिंटर, 1–टेलीविजन, खेल का समान, CCTV, रसोईघर का समान, गैस चूल्हा, R-O Water इत्यादि ।

B. विधि विवादित बच्चों हेतु बाल देखरेख संस्थान

क्र. सं.	शेल्टर होम	उद्देश्य	अधिकतम क्षमता	मानव संसाधन	भवन	स्थापना हेतु परिसम्पत्ति
1	पर्यवेक्षण गृह	विधि विवादित किशोरों के मामले की सुनवाई तक उनके आवासन हेतु संचालित	50	गृह अधीक्षक, परामर्शदाता, बाल सुधार पदाधिकारी, गृह पिता, भण्डारपाल–सह–लेखापाल, रसोईया, सहायक रसोईया, डॉक्टर (अंशकालिक), सुरक्षा प्रहरी	कुल क्षे. 8,745 वर्ग फुट, आवासीय कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भोजन कक्ष, रसोई घर, खेलने का स्थान, परामर्श कक्ष, स्नान घर एवं शौचालय	बेड, टेबल, कुर्सी, CCTV, 3–कम्प्यूटर, 2– टेलीविजन, किचन हेतु बर्तन, गैस चूल्हा गैस सहित, खेलने का समान इत्यादि।
2	विशेष गृह	विधि विवादित किशोरों का दोष सिद्ध होने के उपरान्त सुधार हेतु उनके आवासन हेतु संचालित	50	गृह अधीक्षक, परामर्शदाता, बाल सुधार पदाधिकारी, गृह पिता, भण्डारपाल–सह–लेखापाल, रसोईया, सहायक रसोईया, डॉक्टर (अंशकालिक), सुरक्षा प्रहरी	कुल क्षे. 8,745 वर्ग फुट, आवासीय कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भोजन कक्ष, रसोई घर, खेलने का स्थान, परामर्श कक्ष, स्नान घर एवं शौचालय	बेड, टेबल, कुर्सी, CCTV, 3–कम्प्यूटर, 2– टेलीविजन, किचन हेतु बर्तन, गैस चूल्हा गैस सहित, खेलने का समान इत्यादि।
3	सुरक्षित स्थान	16 वर्ष से अधिक एवं गंभीर अपराध वाले विधि विवादित किशोरों के आवासन हेतु संचालन	50	गृह अधीक्षक, परामर्शदाता, बाल सुधार पदाधिकारी, गृह पिता, भण्डारपाल –सह–लेखापाल, रसोईया, सहायक रसोईया, डॉक्टर (अंशकालिक), सुरक्षा प्रहरी	कुल क्षे. 8,745 वर्ग फुट, आवासीय कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भोजन कक्ष, रसोईघर, खेलने का स्थान, परामर्श कक्ष, स्नान घर एवं शौचालय	बेड, टेबल, कुर्सी, CCTV, 3– कम्प्यूटर, 2– टेलीविजन, किचन हेतु बर्तन, गैस चूल्हा गैस सहित, खेलने का समान इत्यादि।

बाल संरक्षण एवं देखरेख संस्थानों में आहार के न्यूनतम मानक

1. **आहार के मानक**

   राज्य सरकार के Juvenile Justice Act, 2015 के आधार पर होना चाहिए।

2. **मेस कमिटी**

   संस्थान के बच्चे भी मेस कमिटी के सदस्य होने चाहिए।

बच्चों की दैनिक उपयोग हेतु वस्तुएँ

1. **वस्त्र (प्रति वर्ष)**
   - 4 सेट कपड़ा, 5 सेट अन्तःवस्त्र, 2 तौलिया, 1 जरसी, 1 ओढ़ने का चादर, 3 सेट स्कूल ड्रेस।
   - 1 जोड़ी जूता, 4 जोड़ी मोजा, 1 जोड़ी चप्पल।
2. **बिस्तर (प्रति वर्ष)**
   - एक गद्दा/कॉटेन दरी, दो कॉटेन बेड सीट।
   - एक कम्बल, एक तकिया।
3. **अन्य आवश्यक वस्तुएँ**
   - टूथ पॉउडर/पेस्ट, टूथ ब्रश, साबून।
   - तेल, कंघी, पैड लड़कियों के लिए।

दैनिक क्रियाकलाप

सभी बाल संस्थानों में बच्चों/किशोरों के समग्र विकास हेतु एक नियमित दैनिक रूटीन होना चाहिए, जो उन्हें कम से कम छः घटे तक व्यस्त रखे।

दैनिक क्रियाकलाप संस्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होना चाहिए।

इनमें निम्न बातों का समावेश होना चाहिए:

- व्यक्तिगत साफ–सफाई,
- शारीरिक व्यायाम, योगा इत्यादि,
- स्कूल जाने वाले बच्चों का समय पर स्कूल जाना,
- व्यावसायिक प्रशिक्षण,
- खेल–कूद एवं मनोरंजन,
- संगीत एवं टेलीविजन देखने का समय,
- सामूहिक गतिविधि,
- रविवार एवं छुट्टी के दिनों में खास गतिविधि।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

खण्ड –। (सामान्य सूचना सभी स्कीमों के लिए)

लाभार्थी का फोटो

1. लाभार्थी का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. माता/पत्नी का नाम –
4. लिंग – पुरूष/महिला/अन्य
5. जन्म तिथि –
6. वैवाहिक स्थिति – विवाहित/अविवाहित/विधवा/विधुर (विधवा की स्थिति में प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
7. निवास स्थान का पूरा पता –

   गाँव/मुहल्ला – पंचायत/वार्ड संख्या – नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत

   थाना – प्रखण्ड – अनुमण्डल–

   जिला – डाकघर – पिन कोड–
8. अल्पसंख्यक – हाँ/नहीं (यदि हाँ तो–मुस्लिम/सिख/बौद्ध/जैन/पारसी/अन्य)
9. कोटि – (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सामान्य)
10. बी.पी.एल. विवरणी अंकित करें एवं सूची की छायाप्रति संलग्न करें –

    (इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन/ राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना/मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए अनिवार्य) :

    क्रमांकः प्राप्तांकः वर्षः

    यदि बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज न हो तो वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) ....
    (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन/मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु बी.पी.एल. में नाम नहीं होने पर अनिवार्य)
11. दिव्यांगता – हाँ/ना

    (i) यदि हाँ तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशतता –

    (ii) दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (छायाप्रति संलग्न करें) –
12. आधार संख्या (छायाप्रति संलग्न करें) | | | | | | | | | | | | |
13. मोबाईल नं. | | | | | | | | | | |
14. आवेदक के बैंक खाता की विवरणी (पास बुक की छायाप्रति संलग्न करें)

(क) बैंक का नाम .... शाखा ....

(ग) खाता संख्या .... आई.एफ.एस. कोड ....

15. लाभान्वित होने वाले छत्र योजना तथा स्कीम का नाम एवं कोड लिखें तथा संबंधित छत्र योजना के तहत लाभ प्राप्त होने वाले स्कीमों में विवरणी अंकित करें

छत्र योजना का नाम एवं कोड संख्या	स्कीम का नाम एवं कोड संख्या

(छत्र योजना/स्कीम के लिए परिशिष्ट –1 का संदर्भ लें)

खण्डं – II (पूरक सूचना सीमित स्कीमों के लिए)

क. मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता छत्र योजना

(i) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना / मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना / कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना

1. मृतक का नाम –
2. मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई या दुर्घटना से (मृत्यु प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न करें) –
3. मृत व्यक्ति के साथ लाभार्थी का संबंध : ....
4. मृतक के मुख्य जीविकोपार्जक (जीविकोपार्जक घोषणा पत्र संलग्न करें) –
5. विगत तीन वर्ष पूर्व से उक्त स्थान पर रहने संबंधी घोषणा–पत्र –

(ii) मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

1. विवाहित साथी का नाम एवं उनका आधार संख्या (संयुक्त फोटो संलग्न करें) –
2. लाभार्थी से विवाह करने वाले स्त्री / पुरूष की जन्म तिथि तथा आयु : ....
3. लाभार्थी तथा विवाहित साथी का जाति प्रमाण–पत्र अथवा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत होने की तिथि (छायाप्रति संलग्न करें) –

ख. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना

1. सम्बल योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का विवरण :...

ग. मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना

(i) परवरिश योजना

1 परवरिश योजना के लाभ प्राप्त करने की श्रेणी (परिशिष्ट II का संदर्भ लें) –

2. अनाथ एवं बेसहारा बच्चे की स्थिति में क्या सक्षम प्राधिकार ने आदेश निर्गत किया है (यदि हाँ तो आदेश / प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें)–
3. लाभार्थी से आवेदक का संबंध :...
4. लाभार्थी के माता–पिता की मृत्यु की तिथि (अनाथ एवं बेसहारा बच्चे की स्थिति में) :.......................................
5. लाभार्थी बच्चे / उनके माता–पिता के बिमारी का नाम (लाभार्थी बच्चे अथवा उसके माता / पिता के HIV+ / एड्स / कुष्ठ रोग (ग्रेड–II) से पीड़ित होने की स्थिति में) :...

घ. बिहार राज्य पीड़ित सहायता एवं पुनर्वास छत्र योजना

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति –
2. सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सा प्रमाण–पत्र की प्रति –
3. शपथ–पत्र (नशा विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना हेतु) –

15. घोषणाः मैं एतद द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन–पत्र में अंकित विवरण एवं संलग्न किये गए सभी दस्तावेज के तथ्य / सूचनाएँ सही व सत्य है। मेरे द्वारा तथ्य असत्य / अपूर्ण / भ्रामक पाये जाने पर अनुदान के रूप में प्राप्त की गयी राशि का सूद सहित मूल राशि मुझसे वसूलनीय होगी। आवेदन–पत्र में अंकित मेरे आधार संख्या का कार्यालय द्वारा उपयोग की सहमति प्रदत्त की जाती है।

स्थान .... लाभार्थी / अभिभावक का हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

दिनांक ....

कार्यालय उपयोग हेतु

लाभार्थी...पिता / पति...
पता...को छत्र योजना ....
.....................के स्कीम ....अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तिथि – ....

स्थान– .... सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट – I

01 मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता छत्र योजना	
1.1 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	0.1 (क) मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
1.2 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	1.5 लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन
1.3 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन	1.6 बिहार निःशक्तता पेंशन
1.4 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	1.7 मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना

02 मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना	
2.1 सम्बल	2.2 सीपडा

03 समेकित बाल विकास छत्र योजना	
3.1 समेकित बाल विकास योजना	3.3 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना
3.2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	

04 मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना	
4.1 समेकित बाल संरक्षण योजना	4.2 परवरिश योजना

05 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना	
5.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	5.3 नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन
5.2 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	

06 मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना	
6.1 बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	6.3 वृद्धाश्रम
6.2 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	6.4 किन्नर कल्याण योजना

07 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान छत्र योजना
7.1 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

परिशिष्ट II

परवरिश योजना के लाभ प्राप्त करने की श्रेणी

I. अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो निकटतम संबंधी अथवा रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं।

II. वैसे बच्चे भी अनाथ एवं बेसहारा बच्चे माने जायेंगे जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण से अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे के परवरिश करने में असमर्थ हो गए हों।

III. स्वयं HIV+/एड्स, कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे।

IV. HIV+/एड्स, कुष्ठ रोग (ग्रेड II) से पीड़ित माता–पिता के बच्चे।

मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना

बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट (प्ररूप 17) (नियम 18 (2), 19 (25)– बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं सरंक्षण) नियमावली, 2017)

मामला संख्याः ....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :..

प्रस्तुत करने की तिथि :.., प्रस्तुत करने का समय :..

प्रस्तुत करने का स्थान :..

क. बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरणः

1. व्यक्ति का नाम : ....

2. उम्र : .... 3. लिंग : ....

4. पता : ....

5. सम्पर्क फोन संख्या : .... 6. व्यवसाय / पदनाम : ....

7. संगठन / बा.सं.स. / एस.ए.ए. का नाम : ....

ख. प्रस्तुत किया गया बालक

1. नाम (यदि को हो तो) : ....

2. आयु (आयु लिखें / शक्ल सूरत के आधार पर आयु लिखें) : .... 3. लिंग : ....

4. पहचान चिन्ह : .... 5. बच्चे की भाषा : ....

ग. माता–पिता / संरक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो)

1. नाम : ....

2. आयु : ....

3. पता : ....

4. सम्पर्क (फोन) संख्या : .... 5. व्यवसाय : ....

घ. स्थान जहाँ बच्चा प्राप्त हुआ : ....

च. उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गया :

1. नाम : ....

2. आयु : ....

3. पता : ....

4. सम्पर्क (फोन) संख्या : .... 5. व्यवसाय : ....

छ. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया : ....

ज. बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध / दुराचार का बच्चे द्वारा किया गया दोषारोपण : ....

झ. बच्चे की शारीरिक स्थिति : ....

ट. प्रस्तुति के समय बच्चे का समान : ....

ठ. बच्चे के बा.क.स. / एन.एस.ए. में आने की तिथि और समय : ....

ड. बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरंत प्रयास : ....

ढ. क्यों पुलिस को सूचित किया गया है : ....

बच्चे का हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

बच्चे को प्रस्तुति करने वाले के हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

पुलिसः स्थानीय पुलिस / विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई / पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी / रेलवे पुलिस / परिवीक्षा अधिकारी / सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी / समाज कल्याण संगठन / सामाजिक कार्यकर्ता / बा.सं.स. के प्रभावी व्यक्ति / एस.ए.ए. / कोई भी नागरिक / स्वयं बालक अथवा बालिका (जो भी लागू हो, भरा जाय)

मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना

कुटीर में रहने के लिए सहमति पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री .... पता......................... ....एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं आज से पूर्व अपना जीवन यापन करने में अक्षम महसूस कर रहा था/रही थी, जिसके कारण मैं पिछले .... वर्ष/महीना से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए .... स्थान पर भिक्षावृत्ति कर रहा/रही थी। मुझे संचालित अल्पावास गृह सह वर्गीकरण केन्द्र के बारे में .... कुटीर कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी मिली, जिसके बाद इसमें अपने रहने की इच्छा व्यक्त की। आज दिनांक .... दिनांक .... को मैं अपने पूरे होशों हवास में घोषणा कर रहा/रही हूँ कि मैं अपनी स्वेच्छा से इस गृह में रहने जा रहा/रही हूँ एवं इसके लिए मेरे उपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया गया।

गवाह के हस्ताक्षर | क्षेत्र समन्वयक का हस्ताक्षर | लाभार्थी का हस्ताक्षर

1.

2.

3.

कुटीर छोडनें हेतु शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... उम्र.......................... पता...(NGO) द्वारा संचालित महिला भिक्षुक हेतु संचालित अल्पावास गृह सह वर्गीकरण केन्द्र (SEWA KUTIR) के द्वारा प्रदान की जा रही सभी प्रकार की सुविधाओं यथा रहने, खाने, इलाज, मनोरंजन इत्यादि से पूर्णतः संतुष्ट एवं सहमत हूँ। मैं अपनी इच्छा से सेवा कुटीर से बाहर जाना चाहती हूँ। इसलिए आज दिनांक .... दिन .... को अपने पूरे होशो–हवाश में स्वेच्छा से बाहर जा रहा/रही हूँ। आज के बाद हमारी किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी इस सेवा कुटीर एवं स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर (SSUPSW) की नहीं होगी। सेवा कुटीर के बाहर अगर हमारे साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा/रहूँगी।

गवाह के हस्ताक्षर | क्षेत्र समन्वयक का हस्ताक्षर | लाभार्थी का हस्ताक्षर

1.

2.

3.

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

खण्ड –I (सामान्य सूचना)

1. आवेदक संस्था का नाम :
2. निबंधन संख्या / वर्ष :
3. कार्यालय का पता :

भवन संख्या / मुहल्ला : सड़क / लेन / मुहल्ला :

शहर : थाना :

डाकघर : राज्य : पिन कोडः

4. दूरभाष संख्या, लैंडलाईन ...., मोबाईल ....
5. संस्था के मुख्य पदधारक का नाम (पदनाम सहित) : ....
6. ई–मेल आई डी : ...., वेबसाईट (यदि हो तो) :............................
7. संस्था का निबंधनः

(क) (सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. / कम्पनी एक्ट. / पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट.)

(ख) पंजीकरण की वैधता : D D M M Y Y Y Y से D D M M Y Y Y Y तक

8. प्रशासी समूह के पदधारको की विवरणी (नाम, पदनाम, मोबाईल, आधार संख्या सहित):

क्र.	नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	पता	मोबाइल नं.	पैन नं.	आधार नं.

9. संस्था में कार्यरत पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मियों की विवरणीः

क्र.	नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	वेतन	मोबाइल नं.	योगदान की तिथि

10 क्या संस्था का उप–नियम (Bye&Laws) संस्था को प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन / संचालन की अनुमति देता है (हाँ / नहीं)

11. क्या संस्था को पूर्व में कभी काली सूची में दर्ज किया गया है (हाँ / नहीं)

यदि हाँ तो इसकी विवरणी निम्नवत दें:–

(क) काली सूची में दर्ज किए जाने से संबंधित आदेश (तिथि का उल्लेख करें) :

(ख) विभाग / निदेशालय / निगम / सोसायटी का नाम जिसके द्वारा संस्था को काली सूची में दर्ज किया गया :

(ग) कारण (संक्षिप्त विवरणी): ....

(घ) संस्था को काली सूची से हटाये जाने से संबंधित आदेश (तिथि का उल्लेख करें):

(संबंधित आदेशों की छायाप्रति संलग्न करें)

12. विगत तीन वर्षों में संस्थान द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधि की विवरणी –

वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्त निधि	सरकारी स्रोतों से प्राप्त निधि

13. संलग्न किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:

(क) संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र:

(ख) संस्था का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन:

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन (विगत तीन वर्षों का):

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन (Receipt & Payment Account, Income & Expenditure Account, Balance Sheet)

खण्ड –II (परियोजना/कार्यक्रम/संस्थान के संचालन में अभिरूचि हेतु पूरक सूचना)

1. कृपया 'सही' का निशान लगाये जिसके संबंध में आपकी संस्था के द्वारा परियोजना / कार्यक्रम / संस्थान संचालित करने की अभिरूचि व्यक्त की जा रही है तथा आवेदन करने हेतु जिले का नाम उल्लेख करें :–

क्र.	**परियोजना/कार्यक्रम/संस्थान**	**उपर्युक्त में टिक लगाये**	**जिला का नाम**
i	बाल गृह (बालक)		
ii	बाल गृह (बालिका)		
iii	खुला आश्रय		
iv	विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (SAA)		
v	उत्तर रक्षा कार्यक्रम		
vi	भिक्षुकों हेतु आवासीय संस्थान (पुरूष)		
vii	भिक्षुकों हेतु आवासीय संस्थान (महिला)		
viii	वृद्धाश्रम		
ix	अल्पावास गृह		
x	स्वाधार		

xi	उज्ज्वला		
xii	स्टेप (STEP)		

2. क्या संस्था द्वारा पूर्व में जरूरतमंद महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं भिक्षुकों हेतु आवासीय संस्थान या कार्यक्रम संचालित किए जाने का अनुभव है (हाँ / नहीं):

   यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करें : ....

   ....

3. संस्था द्वारा वर्तमान में तथा तीन वर्षों में सरकार एवं अन्य डोनर एजेन्सी द्वारा समर्पित अनुदान, कार्यक्रम संचालित करने की विवरणी :

क्र.	वर्ष	परियोजना / कार्यक्रम का नाम	डोनर एजेन्सी / सरकारी विभाग का नाम	जिला का नाम	कुल प्राप्त निधि

4. क्या संस्था को किसी अन्य अधिनियम में भी निबंधन प्राप्त है (हाँ / नहीं):

   यदि हाँ तो विवरणी प्रस्तुत करें (निबंधन आदेश की छायाप्रति संलग्न करें):

5. प्रस्तावित परियोजना / कार्यक्रम / संस्थान जिसके संबंध में संस्था द्वारा अभिरूचित व्यक्त की गई है, उसके संचालन में संस्था अपने आपको किस प्रकार उपयुक्त एवं सक्षम मानती है (300 शब्दों में स्पष्ट करें):

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार